2019 का विधेयक संख्यांक 184.

मजदूरी संहिता, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध ।
4. समान या उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का विनिश्चय ।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

5. मजदूरी की न्यूनतम दर का संदाय ।
6. न्यूनतम मजदूरी को नियत करना ।
7. न्यूनतम मजदूरी के संघटक ।
8. न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया ।
9. केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति ।
10. सामान्य कार्य दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी ।
11. कार्य के दो या अधिक वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी ।
12. मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम समय मजदूरी ।
13. सामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के नियत घंटे ।
14. अतिकाल के लिए मजदूरी ।

अध्याय 3

मजदूरी का संदाय

15. मजदूरी के संदाय का ढंग ।
16. मजदूरी अवधि को नियत करना ।
17. मजदूरियों के संदाय के लिए समय-सीमा ।
18. वे कटौतियां, जो मजदूरी से की जा सकेंगी ।
19. जुर्माना ।
20. काम से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां ।
21. नुकसानी या हानि के लिए कटौती ।
22. दी गई सेवाओं के लिए कटौती ।
23. अग्रिमों की वसूली के लिए कटौती ।

खंड

24. उधार की वसूली के लिए कटौती ।

25. अध्याय का सरकारी संस्थापनों को लागू न होना ।

अध्याय 4

बोनस का संदाय

26. बोनस के लिए पात्रता ।

27. कतिपय मामलों में बोनस में कमी का अनुपात ।

28. काम के दिनों की संख्या की संगणना ।

29. बोनस के लिए अनर्हता ।

30. स्थापन, जिसके अंतर्गत विभाग, उपक्रम और शाखाएं ।

31. आबंटित अतिशेष से बोनस का संदाय ।

32. सकल लाभ की संगणना ।

33. उपलब्ध अतिशेष की संगणना ।

34. सकल लाभों से कटौती योग्य राशियां ।

35. नियोजक द्वारा संदेय प्रत्यक्ष कर का परिकलन ।

36. आबंटनीय अधिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरा किया जाना ।

37. इस संहिता के अधीन संदेय बोनस के विरूद्ध रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन ।

38. संदेय बोनस में से कतिपय रकमों की कटौती ।

39. बोनस के संदाय के लिए समय परिसीमा ।

40. कतिपय दशाओं में पब्लिक सेक्टर स्थापनों को इस अध्याय को लागू होना ।

41. इस अध्याय का लागू न होना ।

अध्याय 5

सलाहकार बोर्ड

42. केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड ।

अध्याय 6

शोध्यों, दावों का संदाय और लेखापरीक्षा

43. विभिन्न शोध्यों का संदाय करने का उत्तरदायित्व ।

44. किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों का संदाय ।

45. संहिता के अधीन दावे और उनकी प्रक्रिया ।

46. संहिता के अधीन विवादों का निदेश ।

47. निगमों और कंपनियों के तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे के सही होने के संबंध में अवधारणा ।

48. नियोक्ताओं, जो निगम या कंपनी नहीं हैं, के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

49. अपील ।

50. अभिलेख, रिटर्न और सूचनाएं ।

खंड

अध्याय 7

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता

51. निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

52. अपराधों का संज्ञान ।

53. कतिपय मामलों में सरकार के समुचित अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

54. अपराधों के लिए शास्तियां ।

54. कंपनियों द्वारा अपराध ।

56. अपराधों का प्रशमन ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

57. वाद का वर्जन ।

58. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

59. सबूत का भार ।

60. संविदा द्वारा त्यजन ।

61. इस संहिता से असंगत विधियों, करारों आदि का प्रभाव ।

62. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

63. कतिपय मामलों में नियोक्ता को दायित्व से छूट ।

64. सरकार के पास नियोक्ता की आस्तियों की कुर्की के विरूद्ध सरंक्षण ।

65. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

66. व्यावृत्ति ।

67. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

68. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

69. निरसन और व्यावृत्ति ।

2019 का विधेयक संख्यांक .

[दि कोड आन वेजिज, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

मजदूरी संहिता, 2019

मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "लेखा वर्ष" से अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "सलाहकार बोर्ड" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड या धारा 42 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "कृषि आय-कर विधि" से कृषि आय पर कर के उद्ग्रहण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त कोई विधि अभिप्रेत है ;

(घ) "समुचित सरकार" से--

(i) केंद्रीय सरकार के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाने वाला कोई स्थापन या तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवा, दूर संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या कारपोरेशन या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम या अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्रीय लोक पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा नियंत्रित स्वायत्तशासी निकाय, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वायत्तशासी निकायों के प्रयोजन के लिए ठेकेदारों के स्थापन भी हैं ;

(ii) राज्य सरकार के संबंध में कोई अन्य स्थापन,

अभिप्रेत है ;

(ङ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ; 2013 का 18

(च) "ठेकेदार" से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

(i) किसी स्थापन को केवल माल या विनिर्माण वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न कोई निश्चित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम से उस स्थापन के लिए संपन्न करने का जिम्मा लेता है ; या

(ii) उस स्थापन के किसी काम के लिए मानव संसाधन के रूप में ठेका श्रमिक उपलब्ध कराता है और इसके अंतर्गत उप ठेकेदार भी है ;

(छ) "ठेका श्रमिक" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी स्थापन के कार्य में नियोजित किया गया या से संसक्त समझा जाएगा जब वह प्रधान नियोजक के ज्ञान सहित या ज्ञान रहित, ठेकेदार द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से ऐसे कार्य के लिए भाड़े में लिया गया है या से संसक्त है और इसके अतंर्गत अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार भी हैं किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कर्मकार (अंशकालिक कर्मचारी से भिन्न) नहीं आता है जो- 1912 का 2

(i) अपने स्थापन और अपने नियोजन के किसी क्रियाकलाप के लिए ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से नियोजित है, नियोजन (जिसके अंतर्गत स्थायी आधार पर नियुक्त भी है) की शर्तों के परस्पर स्वीकृति मानक द्वारा शासित होता है ; और

(ii) तत्समय प्रवृत्त ऐसे नियोजन के लिए विधि के अनुसार कालिक वेतनवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र और अन्य कल्याणकारी फायदे प्राप्त करता हो ;

(ज) "सहकारी सोसाइटी" से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 या सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन

रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(झ) "निगम" से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत कोई कंपनी या कोई सहकारी सोसाइटी नहीं है ;

(ञ) "प्रत्यक्ष कर" से,—

1961 का 43

(i) (अ) आय-कर अधिनियम, 1961 से ;

1964 का 7

(आ) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 ;

(इ) कृषि आय-कर विधि के अधीन प्रभार्य कोई कर ; और

(ii) कोई अन्य कर, जो अपनी प्रकृति या आपतन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में घोषित कर सकेगी, अभिप्रेत है ;

1961 का 52

(ट) "कर्मचारी" से शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन लगे किसी शिक्षु से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अवक्रय या पारिश्रमिक के लिए किसी स्थापन द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल, शारीरिक, प्रचालन, पर्यवेक्षण, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य के लिए मजदूरी पर नियोजित है चाहे उसके नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त या विवक्षित हैं और जिसके अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नियोजित के रूप में घोषित कोई व्यक्ति भी है किंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं होगा ;

(ठ) "नियोजक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सीधे या किसी व्यक्ति के माध्यम से या अपनी ओर से अथवा किसी व्यक्ति की ओर से अपने स्थापन में एक या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग ऐसे स्थापन को चलाता है ऐसे विभाग के प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उसके निमित्त या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं है विभाग का प्रमुख और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किसी स्थापन के संबंध में उक्त प्राधिकरण का मुख्य प्राधिकारी और जिसके अंतर्गत,—

1948 का 63

(i) किसी स्थापन के संबंध में जो कारखाना है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ढ) में यथा परिभाषित किसी कारखाने का अधिष्ठाता और जहां उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा ;

(ii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में जो व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका स्थापन के मामलों पर अंतिम नियंत्रण रहता है और जहां ऐसे मामले को किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए है, ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ; और

(iii) ठेकेदार ;

(iv) किसी मृत नियोजक के विधिक प्रतिनिधि ;

(ड) "स्थापन" से कोई स्थान अभिप्रेत है, जहां कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या वृत्ति संचालित की जाती है और जिसके अंतर्गत सरकारी स्थापन भी है ;

(ढ) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथा परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है ; 1948 का 63

(ण) "सरकारी स्थापन" से सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई कार्यालय या विभाग अभिप्रेत है ;

(त) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ; 1961 का 43

(थ) "औद्योगिक विवाद" से,—

(i) नियोजक और नियोजकों के मध्य या नियोजक और कर्मकारों के मध्य या कर्मकारों तथा कर्मकारों के मध्य कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत हैं जो किसी व्यक्ति के नियोजन या गैर-नियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रमिकों की दशाओं से संबंधित है ; और

(ii) किसी व्यक्तिगत कर्मकार और नियोजक से संबंधित कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो ऐसे कर्मकार के उन्मोचन, पदच्युत, छंटनी या समाप्ति से संबंधित या उत्पन्न हो ;

(द) "निरीक्षक-सह-सुकारक" से समुचित सरकार द्वारा धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ध) "न्यूनतम मजदूरी" से धारा 6 के अधीन नियत मजदूरी अभिप्रेत है ;

(न) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का इसके व्याकरणिक परिवर्तनों और सजातीय पदों के तद्नुरूप अर्थ लगाया जाएगा ;

(प) "विहित" से समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(फ) "समान कार्य या किसी वैसी ही प्रकृति के समान कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके संबंध में समान कौशल, उद्यम और उत्तरदायित्व की अपेक्षा है जब किसी कर्मचारी द्वारा वैसी ही कार्य दशाओं के अधीन उनको किया जाता है और यदि किसी लिंग के किसी कर्मचारी के मध्य कोई कौशल, उद्यम और उत्तरदायित्व की अपेक्षा में अंतर है, नियोजन के निबंधनों और शर्तों के संबंध में व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है ;

(ब) "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है ;

(भ) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (द) में है ; 1947 का 14

(म) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त अथवा इस प्रकार अभिव्यक्त हो सकने वाला ऐसे सभी पारिश्रमिक चाहे वह वेतन, भत्तों के रूप में हो या अन्यथा हो अभिप्रेत है, जो यदि किसी नियोजित व्यक्ति को, यदि नियोजन के अभिव्यक्त या

विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन की बाबत या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेय होता, और निम्नलिखित इसके अंतर्गत आते हैं,—

(i) मूल वेतन ;

(ii) महंगाई भत्ता ; और

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हों ;

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या किसी ऐसी सेवा का मूल्य, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित है ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि, जो उसे अपने नियोजन की प्रकृति के कारण उठाने पड़े ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच के किसी अधिनिर्णय या समझौता अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकाल भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन के पर्यवसित होने पर संदेय कोई उपदान ;

(ट) किसी कर्मचारी को कोई छंटनी प्रतिकर या कोई सेवानिवृत्त लाभ या नियोजन के पर्यवसान पर उसे कोई अनुग्रहपूर्वक किया गया संदाय ;

परंतु यह कि इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना के लिए आधे से अधिक या ऐसे अन्य प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, यदि खंड (क) से (झ) के अधीन नियोजन द्वारा संदाय किया गया है तो इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट सभी पारिश्रमिक के रकम के आधे से अधिक से इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक है, संदाय किया गया है, पारिश्रमिक के रूप जोड़ी जाएगी, इस खंड के अधीन सभी पारिश्रमिकों में तद्नुसार जोड़ी जाएगी :

परन्तु यह कि सभी लिंगों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में निर्दिष्ट उपलब्धियां मजदूरी के संगणना के लिए ली जाएंगी ।

स्पष्टीकरण–जहां कोई कर्मचारी उसे संदेय योग्य मजदूरी के पूर्णतः या भागतः उसके बदले उसके नियोजक द्वारा वस्तु रूप में ऐसे पारिश्रमिक का मूल्य जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है वस्तु रूप में ऐसे पारिश्रमिक कर्मचारी की मजदूरी के भाग के रूप में समझा जाएगा ;

(य) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति [शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथापरिभाषित किसी शिक्षु को छोड़कर] अभिप्रेत है जो किसी उद्योग में भाड़े या नाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, संक्रियात्मक या लिपिकीय पर्यवेक्षीय कार्य करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विवक्षित और जिसके अंतर्गत— 1961 का 52

1955 का 45

1976 का 11

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड 4 ; और

(ii) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन और औद्योगिक विवाद संबंधी इस संहिता के अधीन किसी पूर्ववर्ती प्रयोजन के लिए, जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति को उस विवाद के अनुकूल या परिणामस्वरूप पदच्युत, सेवोन्मुक्त अथवा अन्यथा पर्यवसित किया गया हो अथवा जिसका वह विवाद पदच्युत, सेवोन्मुक्त अथवा छंटनी का कारण बना है, भी है

किंतु इसके अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो—

(क) वायुसेना अधिनियम, 1950, या सेना अधिनियम, 1950, या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन होगा ; या 1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62

(ख) पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो ; या

(ग) मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित हो ; या

(घ) प्रतिमास पंद्रह हजार रुपए या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रकम से अधिक मजदूरी पाने वाला पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित हो ।

लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध ।

3. (1) कर्मचारियों के बीच किसी स्थापन या उसके किसी यूनिट में मजदूरी के संबंध में लिंग के आधार पर समान कार्य या किसी कर्मचारी द्वारा उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होगा ।

(2) कोई नियोक्ता,—

(i) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा ; और

(ii) समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के लिए किसी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, नियोजन की शर्तों के सिवाय, ऐसे कार्य में महिला नियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित है ।

समान या उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का विनिश्चय ।

4. जहां इस संबंध में कि धारा 3 के प्रयोजनो के लिए कोई कार्य समान है या समान प्रकृति का है, के संबंध में किसी विवाद का विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

अध्याय 2

न्यूनतम मजदूरी

मजदूरी की न्यूनतम दर का संदाय ।

5. नियोक्ता किसी कर्मचारी को समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर से, कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।

न्यूनतम मजदूरी को नियत करना ।

6. (1) धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार धारा 8 के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार,—

(क) कालानुपाती काम के लिए ; या

(ख) मात्रानुपाती काम के लिए ; या

(3) जहां कोई कर्मचारी, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए मात्रानुपाती काम पर नियोजित है, वहां समुचित सरकार, कालानुपाती काम पर मजदूरी की न्यूनतम दर पर ऐसे कर्मचारी की आवर्ती के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करेगी ।

(4) समय कार्य के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर को निम्नलिखित एक या अधिक मजदूरी कालावधियों के अनुसार नियत किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) घंटे द्वारा, या

(ii) दिवस द्वारा, या

(iii) मास द्वारा ।

(5) जहां मजदूरी की दरों को घंटे या दिन या मास द्वारा नियत किया जाता है वहां मजदूरी की संगणना करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(6) इस धारा के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार,—

(क) अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और अतिकुशल प्रवर्गों के अधीन अथवा भौगोलिक क्षेत्र या दोनों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कर्मकारों के कुशल को मुख्यतः ध्यान में रखेगा ; और

(ख) कर्मकारों के कतिपय प्रवर्गों के लिए मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर के अतिरिक्त उनके कार्य की कठिनता को, जैसे तापमान या सामान्यतः नमी को सहन करने, परिसंकटमय उपजीविकाएं या प्रक्रियाएं अथवा ऐसे भूमिगत कार्य, जिसे उस सरकार द्वारा विहित की जाए, ध्यान में रखेगा ; और

(ग) मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर नियत करने का मानदंड विहित करेगा ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों की संख्या, यथासंभव, समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम रखा जाएगा ।

न्यूनतम मजदूरी के संघटक ।

7. (1) समुचित सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की किसी दर में निम्नलिखित शामिल किए जा सकेंगे—

(क) ऐसे अंतरालों और ऐसी रीति में समायोजित की जाने वाली मजदूरी की आधारभूत दर और विशेष भत्ते की ऐसी दर, जो समुचित सरकार ऐसे कर्मकारों को लागू निर्वाहव्यय सूचकांक संख्याक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्वाहव्यय भत्ते की लागत" कहा गया है) में अन्तर के साथ साध्य निकटतम रूप से प्रदान करने का निदेश दे ; या

(ख) मजदूरी की निर्वाहव्यय भत्ता लागत सहित या उसके बिना आधारभूत दर और रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों का नकद मूल्य, जहां वह प्राधिकृत हो ; या

(ग) आधारभूत दर, निर्वाहव्यय भत्ता और रियायतों का नकद मूल्य, यदि कोई हो, को अनुज्ञात करने वाली सभी को सम्मिलत करते हुए दर ।

(2) निर्वाहव्यय भत्ते की लागत और रियायती दर पर अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों का नकद मूल्य की संगणना ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरालों और ऐसे निदेशों के अनुसार, जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या समय-समय पर दिए जाएं, के अनुसार उस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे ।

न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया ।

8. (1) इस संहिता के अधीन पहली बार मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करने या न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित करते समय, समुचित सरकार या तो,—

(क) जांच करने और सिफारिश करने को, यथास्थिति, ऐसे नियत करने या पुनरीक्षित करने के संबंध में उतनी समितियां या उप समितियां नियुक्त करेगी जितनी वह आवश्यक समझे ; या

(ख) उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए अपने प्रस्तावों को अधिसूचना द्वारा प्रकाशित करेगी और अधिसूचना की तारीख से दो मास से अन्यून तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिसको प्रस्तावों को विचारण में लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति और उप समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ; और

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति जो, समिति के कुल सदस्यों से एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त समिति या उप समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् उस धारा के खंड (क) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार, यथास्थिति, अधिसूचना द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षित कर नियत करेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना अन्यथा उपबंध न करे वह उसके जारी होने की तारीख से

तीन मास के अवसान पर प्रवृत्त होगी :

परंतु जहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति में मजदूरी की न्यूनतम दर को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव करती है वहां धारा 42 के अधीन गठित संबंधित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी ।

(4) समुचित सरकार, साधारणतया पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षा करेगी ।

केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति ।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कम से कम कर्मकार की जान के स्तरमान को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी नियत कर सकेगी :

परंतु विभिन्न राज्यों या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकेगी ।

(2) धारा 6 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी और पूर्व में समुचित सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दर न्यूनतम मजदूरी से अधिक है तो समुचित सरकार पूर्व में उसके द्वारा नियत ऐसी न्यूनतम मजदूरी दर में कमी नहीं करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम मजदूरी नियत करने से पूर्व धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह अभिप्राप्त कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परामर्श दे सकेगी ।

सामान्य कार्य दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी ।

10. यदि कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन दिवस द्वारा नियत की गई है किसी दिवस को जिसको वह सामान्य कार्य दिवस का गठन करने वाले अपेक्षित घंटों से कम के लिए नियोजित किया जाता है तो वह इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय उस दिन को किए गए कार्य के संबंध में मजदूरी प्राप्त करने का ऐसे पात्र होगा मानो उसने पूर्ण सामान्य कार्य दिवस को कार्य किया था :

परंतु वह सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा,–

(i) किसी ऐसी दशा में जहां कार्य करने में उसकी असफलता, कार्य करने में उसकी अनिच्छा द्वारा कारित की गई थी न कि नियोक्ता द्वारा कार्य प्रदान करने का लोप किए जाने के कारण ;

(ii) ऐसे अन्य मामलों और परिस्थितियों में, जो विहित की जाए ।

कार्य के दो या अधिक वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी ।

11. जहां कोई कर्मचारी दो या अधिक वर्ग के कार्य करता है जिनमें से प्रत्येक के लिए मजदूरी की भिन्न दर लागू है तो नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को प्रत्येक वर्ग के ऐसे कार्य के लिए क्रमशः लगने वाले समय के लिए प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में लागू न्यूनतम दर से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।

मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम समय मजदूरी ।

12. जहां कोई व्यक्ति ऐसे मद कार्य पर नियोजित किया गया है, जिसके लिए न्यूनतम समय दर है और जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यूनतम मद दर नियत नहीं की गई है, नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम समय दर से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।

सामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के नियत घंटे ।

13. (1) जहां इस संहिता के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत है, समुचित सरकार—

(क) कार्य के घंटों की संख्या नियत कर सकेगी, जो किसी सामान्य कार्य दिवस में गठित होते हैं जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट एक या अधिक अंतराल हैं ;

(ख) सात दिनों की प्रत्येक अवधि में विश्राम के एक दिन, जो सभी कर्मचारियों को या कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग को अनुज्ञात होगा और विश्राम के ऐसे दिनों के संबंध में पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध करना ;

(ग) विश्राम के किसी दिन पर कार्य के लिए संदाय अतिकाल दर से अन्यून नहीं होगा, का उपबंध करना ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे विस्तार और शर्तों के अधीन रहते हुए कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के संबंध में लागू होंगे जो विहित किए जाएं, अर्थात् :—

(क) किसी आकस्मिक कार्य जो पूर्व कल्पना या निवारक नहीं हो सकता है, में लगे कर्मचारी ;

(ख) प्रारंभिक या संपूरक कार्य की प्रकृति के कार्यों में लगे कर्मचारी जिसे संबंधित नियोजन में साधारण कार्यकरण के लिए अभिकथित सीमा से बाहर आवश्यक रूप से किया जाना है ;

(ग) कर्मचारी जो आवश्यक रूप से आंतरायिक में नियोजित है,

(घ) कर्मचारी किसी कार्य में नियोजित है जिसे तकनीकी कारणों से कर्तव्य काल से पहले पूर्ण करना है ; और

(ङ) कर्मचारी किसी ऐसे कार्य में नियोजित है, जिसे प्राकृतिक बल से अनियंत्रित क्रिया पर आधारित समय पर के सिवाय नहीं किया जा सकता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, आवश्यक आंतरायिक में किसी कर्मचारी का नियोजन जब वह समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी के कर्तव्य काल के दैनिक घंटों के आधार पर घोषित किया जाता है, या यदि कर्मचारी के लिए पैसे कर्तव्य काल के दैनिक घंटे नहीं होंगे, सामान्यतया कर्तव्य काल के घंटों में निष्क्रियता की अवधि सम्मिलित होगी जिसमें कर्मचारी कर्तव्य काल में हो सकेगा किंतु उसका बुलाया जाना प्रदर्शित नहीं होता है या शारीरिक रूप से क्रियात्मक या सतत् रूप से उपस्थित है, भी सम्मिलित होंगे ।

अतिकाल के लिए मजदूरी ।

14. जहां कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस संहिता के अधीन घंटे द्वारा, दिन द्वारा या ऐसी किसी मजदूरी अवधि के आधार, जो विहित की जाए, किसी सामान्य कार्य दिवस को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक किसी दिन के कार्य पर नियत होती है, नियोजक उसे इस प्रकार अधिक किए गए कार्य के लिए प्रत्येक घंटे के लिए या किसी घंटे के भाग के लिए अतिकाल की दर पर जो मजदूरी की सामान्य दर से दुगुने से कम नहीं होगी, संदाय करेगा ।

अध्याय 3

मजदूरी का संदाय

मजदूरी के संदाय का ढंग ।

15. कर्मचारियों को सभी मजदूरियां वर्तमान सिक्कों या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में मजदूरी जमा करके या इलैक्ट्रानिक रीति से संदत्त होंगी :

परंतु समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट औद्योगिक या अन्य स्थापन का नियोजक, जो ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनके बैंक खाते में मजदूरी केवल चैक द्वारा या जमा करके मजूदरी का संदाय करेगा ।

मजदूरी अवधि को नियत करना ।

16. नियोक्ता, कर्मचारियों के लिए मजदूरी अवधि को इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी के संबंध में मजदूरी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी या तो दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक आधार पर नियत करेगा :

परंतु विभिन्न स्थापनों के लिए विभिन्न मजदूरी अवधियां नियत की जा सकेंगी ।

मजदूरियों के संदाय के लिए समय-सीमा ।

17. (1) नियोक्ता निम्नलिखित में लगे हुए कर्मचारियों को मजदूरी का संदाय करेगा या संदत्त करना कारित करेगा :—

(i) पारी के अंत में, दैनिक आधार पर ;

(ii) सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को साप्ताहिक आधार पर अर्थात् साप्ताहिक अवकाश से पूर्व ;

(iii) पक्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरे दिन के अंत से पूर्व, पाक्षिक आधार पर ;

(iv) उत्तरवर्ती मास के सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व मासिक आधार पर ।

(2) जहां किसी कर्मचारी—

(i) को सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(ii) की छंटनी की गई है या उसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है या स्थापना के बंद होने के कारण अनियोजित हो गया है,

उसे संदेय मजदूरी, यथास्थिति, उसको हटाने, पदच्युत करने, छंटनी करने या उसके त्यागपत्र के दो दिन के भीतर संदत्त की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार वहां मजदूरियों के संदाय के लिए भी किसी अन्य समय-सीमा का उपबंध कर सकेगी जहां वह उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन मजदूरी संदत्त की जानी है, ऐसा युक्तियुक्त समझती है ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में मजदूरी के संदाय के लिए उपबंधित समय-सीमा को प्रभावित नहीं करेगी ।

वे कटौतियां, जो मजदूरी से की जा सकेंगी ।

18. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी की मजदूरी से सिवाय उन कटौतियों के जिन्हें इस संहिता के अधीन प्राधिकृत किया गया है, कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता या उसके अभिकर्ता को किए गए किसी संदाय को उसकी मजदूरी से कटौती माना जाएगा ;

(ख) निम्नलिखित में से किसी सही और पर्याप्त कारण से किसी कर्मचारी को मजदूरी का कोई नुकसान—

(i) वेतनवृद्धि या प्रोन्नति को विधारित करना, जिसके अंतर्गत किसी वेतनवृद्धि को रोकना है ; या

(ii) किसी निम्नतर पद को देना या समय वेतन को प्रदान करना ; या

(iii) निलंबन,

को उस दशा में मजदूरी में से कटौती नहीं माना जाएगा जहां नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए किए गए उपबंध इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

(2) किसी कर्मचारी की मजदूरी से कोई कटौती इस संहिता के उपबंधों के अनुसरण में की जाएगी और केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगी, अर्थात् :—

(क) उस पर अधिरोपित जुर्माना ;

(ख) कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां ;

(ग) कर्मचारी को अभिव्यक्त रूप से अभिरक्षा में सौंपे गए मालों के नुकसान या हानि के लिए ; या ऐसे धन की हानि के लिए कटौतियां जिसके लिए उससे हिसाब प्रदान करने की अपेक्षा है जहां ऐसा नुकसान या हानि उसकी असावधानी या व्यतिक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा का परिणाम है ;

(घ) नियोक्ता या समुचित सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित आवास बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए गृहवास सुविधा के लिए कटौतियां, चाहे सरकार या ऐसा बोर्ड नियोक्ता है या नहीं, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जो गृहवास सुविधा को सहायकी प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है जिसे इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) नियोक्ता या समुचित सरकार या इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा जिसे प्राधिकृत किया गया है, आपूर्ति की गई सुख-सुविधाओं और सेवाओं के लिए कटौतियां ऐसी कटौती करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और ऐसी कटौती ऐसी सुख-सुविधाओं, सेवाओं के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" पद में नियोजन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित औजारों और कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति सम्मिलित नहीं है ;

(च) (i) किसी प्रकृति के अग्रिम, जिसके अंतर्गत यात्रा भत्ते या सवारी भत्ते के लिए अग्रिम भी है) और उसके संबंध में शोध्य ब्याज, या मजदूरी के अधिक संदाय का समायोजन ;

(ii) समुचित सरकार द्वारा विहित श्रमिक कल्याण के लिए गठित किसी निधि

से लिया गया उधार और उसके संबंध में शोध्य ब्याज,

की वसूली के लिए कटौती ;

(छ) समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित गृह निर्माण या अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदत्त ऋणों और उसके संबंध में सम्यक् ब्याज की वसूली के लिए कटौतियां ;

(ज) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत आय-कर या किसी अन्य कानूनी उद्ग्रहण या उद्गृहीत कर और जो कर्मचारी द्वारा संदेय है, के लिए कटौतियां या किसी न्यायालय के आदेश या ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश के लिए अपेक्षित कटौतियां ;

(झ) विधि द्वारा गठित किसी सामाजिक सुरक्षा निधि या स्कीम से अग्रिम के पुनः संदाय या अंशदान के लिए कटौतियां जिसके अंतर्गत भविष्य निधि या पेंशन निधि या स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम या किसी अन्य नाम से ज्ञात निधि है ;

(ञ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो समुचित सरकार अधिरोपति करे किसी सहकारी सोसाइटी को संदाय के लिए कटौतियां ;

1926 का 16

(ट) कर्मचारी के लिखित प्राधिकार से फीस के संदाय के लिए और उसके द्वारा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए उसके द्वारा संदेय फीस के लिए कटौतियां ;

(ठ) कूटकृत या आधारी सिक्कों या विरूपित या नकली जाली करेंसी के लिए कर्मचारी द्वारा स्वीकृति के लेखे रेल प्रशासन द्वारा हुई हानियों की वसूली के लिए कटौती ;

(ड) बीजक, बिल के संग्रहण में किसी रेल प्रशासन के असफल रहने के मद्दे या किराया, भाड़ा, डेमरेज, स्थान भाड़ा और क्रेन भाड़ा के संबंध में चाहे रेल प्रशासन को देय समुचित प्रभार्य के मद्दे या खानपान स्थापन में खाद्य के विक्रय के संबंध में या खाद्यान्न या अन्यथा में वस्तुओं के संबंध में किसी नियोजक द्वारा हुई हानि की वसूली के लिए कटौती ;

(ढ) रेल प्रशासन द्वारा प्रदत्त कोई गलत छूट या कटौती के मद्दे चाहे ऐसी हानि उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या चूक के मद्दे किसी नियोजक को हुआ है, की हानि की वसूली के लिए कटौती ;

(ण) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्रीय सरकार के रूप में ऐसी कोई अन्य निधि, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में अभिदाय के लिए कर्मचारी के लिखित प्राधिकार से की गई कोई कटौतियां ।

(3) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी के मजदूरी से किसी मजदूरी अवधि में उपधारा (2) के अधीन की गई कोई कटौती की कुल रकम ऐसे मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन जहां प्राधिकृत कुल कटौतियां मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक हैं, ऐसे आधिक्य को ऐसी रीति में वसूल की जा सकेंगी, जो विहित की जाए ।

(5) जहां इस धारा के अधीन नियोजन द्वारा कर्मचारी की मजदूरी में कोई कटौती की जाती है किंतु तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन यथापेक्षित ट्रस्ट या सरकारी निधि या कोई अन्य लेखे को ध्यान में रखते हुए जमा नहीं किया जाता है वहां ऐसे कर्मचारी नियोजक के ऐसे चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे ।

जुर्माना ।

19. (1) नियोजक द्वारा नियोजक के रूप में उसके भाग पर उनके कृत्य या उसके किसी भाग के लोप के संबंध में किसी कर्मचारी पर कोई जुर्माना समुचित सरकार या ऐसे किसी प्राधिकारी के रूप में जो विहित किया जाए, उपधारा (2) के अधीन सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के संपूर्ण अनुमोदन के बिना अधिरोपित नहीं होगा ।

(2) ऐसे कार्य या लोप की विनिर्दिष्ट कोई सूचना परिसर पर, जहां ऐसा नियोजन किया जा रहा है, ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

(3) किसी कर्मचारी पर कोई जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं होगा जब तक कि कर्मचारी को जुर्माने के विरूद्ध या अन्यथा जुर्माने को अधिरोपित करने के लिए विहित रीति में ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में कारण बताओ का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) जुर्माने की कुल रकम जो किसी कर्मचारी पर किसी एक मजदूरी अवधि में उक्त मजदूरी अवधि के संबंध में जिसमें उसको मजदूरी संदेय है तीन प्रतिशत के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी ।

(5) कोई कर्मचारी जो पंद्रह वर्ष की आयु से कम है पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं होगा ।

(6) किसी कर्मचारी पर अधिरोपित कोई जुर्माना उससे किस्तों में वसूल नहीं होगा या उस दिन जिसको वह अधिरोपित किया गया था, से नब्बे दिन के पश्चात् वसूल नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक जुर्माना कार्य या उसके लोप की तारीख को अधिरोपित समझा जाएगा जिसको यह अधिरोपित किया गया था ।

(8) सभी जुर्माने और वसूली को ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा जो विहित की जाए ; और ऐसी सभी वसूली स्थापन में नियोजित व्यक्तियों के लाभ के ऐसे प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रयुक्त होगी ।

काम से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां ।

20. (1) कोई कर्मचारी, जहां अपने नियोजन के निबंधनों के द्वारा उस स्थान या स्थानों से, जहां वह कार्य के लिए अपेक्षित है, ऐसी अवधि के दौरान, पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए अनुपस्थित रहता है, जिसमें उसके द्वारा ऐसे कार्य करने की अपेक्षा है, ऐसी अनुपस्थिति के मद्दे केवल धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कटौती की जा सकेगी ।

(2) ऐसी कटौती के मद्दे मजदूरी अवधि के संबंध में, जिसमें नियोजित व्यक्ति को संदेय मजदूरी के उसके नियोजन के निबंधनों में वह कार्य के लिए अपेक्षित था के दौरान ऐसी मजदूरी अवधि के भीतर कुल अवधि को उसकी अनुपस्थिति के लिए जिसमें वह अवधि उसके अनुपात में अधिक है, कटौती की गई है, के संबंध में कोई वाद नहीं होगा :

परंतु समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए

यदि दस या अधिक कार्यरत नियोजित व्यक्ति समुचित सूचना के बिना किसी कारण के अपने को अनुपस्थित रखते है (यह कहा जा सकता है कि सूचना दिए बिना नियोजन के उनके संविदा की निबंधनों के अधीन जहां यह अपेक्षित है) ऐसे व्यक्ति से ऐसी कटौती जिसके अंतर्गत ऐसी रकम जो सूचना के नोटिस के बदले नियोजक को देय किसी ऐसे नियोजन द्वारा आठ दिनों के लिए उसके वेतन से अनधिक ऐसी रकम होगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, कोई कर्मचारी स्थान से अनुपस्थित समझा जाएगा जहां वह कार्य के लिए अपेक्षित है यदि, यद्यपि ऐसे स्थान में उपस्थित रहता है, जहां वह हड़ताल में होने या किसी अन्य कारण के लिए इंकार करता है जिसे उसके कार्य को करने की परिस्थितियों में युक्तियुक्त नहीं है ।

नुकसानी या हानि के लिए कटौती ।

21. (1) नुकसान या हानि के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (ङ) के अधीन कोई कटौती कर्मचारी के किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा नियोजक को कारित किसी नुकसानी या हानि की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती तब तक नहीं होगी जब तक कि कर्मचारी को कटौती के विरूद्ध कारण बताओ का अवसर या ऐसी कटौती करने के लिए विहित रीति में ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) सभी ऐसी कटौतियां और वसूली किसी रजिस्टर में ऐसी रीति में अभिलिखित की होंगी जो विहित की जाए ।

दी गई सेवाओं के लिए कटौती ।

22. धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा उसके द्वारा कर्मचारी गृह वास सुविधा या सेवा स्वीकार नहीं की जाती और ऐसी कटौतियां गृह वास सुविधा या उसे दी गई सेवाओं के मूल्य के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी तथा समुचित सरकार के रूप में ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिरोपित की जाए ।

अग्रिमों की वसूली के लिए कटौती ।

23. निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कटौती की जाएगी, अर्थात् :—

(क) नियोजन प्रारंभ होने से पूर्व किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली किसी पूर्ण मजदूरी अवधि के संबंध में उसकी मजदूरी के प्रथम संदाय से होगी किंतु यात्रा व्यय के लिए दिए गए ऐसे अग्रिम की वसूली नहीं की जाएगी ;

(ख) नियोजन प्रारंभ होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी जो विहित की जाए ;

(ग) किसी कर्मचारी की मजदूरी के अग्रिमों की वसूली जो उसके द्वारा अर्जित नहीं किया गया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए की जाएगी, जो विहित की जाए ।

उधार की वसूली के लिए कटौती ।

24. किसी कर्मचारी को दिए गए उधार की वसूली के लिए कटौती धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन उस सीमा तक विनियमित होगी जिसमें ऐसा उधार दिया गया था और ऐसी ब्याज की दर संदेय होगी जो विहित की जाए ।

अध्याय का सरकारी संस्थापनों को लागू न होना ।

25. इस अध्याय के उपबंध सरकारी संस्थापनों को लागू नहीं होंगे जब तक समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थापनों को ऐसे उपबंध लागू होते हैं।

अध्याय 4

बोनस का संदाय

बोनस के लिए पात्रता ।

26. (1) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जो अपने नियोजक से प्रति मास ऐसी रकम से, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, अनधिक मजदूरी पाता हो और जिसने किसी लेखा वर्ष के कम से कम तीस दिन कार्य किया हो, को संदाय किया जाएगा तथा आठ और एक तिहाई से वार्षिक न्यूनतम बोनस का संगणन किया जाएगा । कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी या एक हजार रूपए जो इनमें से अधिक हो चाहे नियोजक के पास पहले संगणन वर्ष के दौरान आबंटनीय अतिशेष हो या नहीं ।

(2) बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए जहां समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा अवधारित कर्मचारी की मजदूरी प्रति मास ऐसी रकम से अधिक है तो ऐसे कर्मचारी को संदेय बोनस उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो उसकी मजदूरी प्रति मास समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा यथा अवधारित ऐसी रकम हो या समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत हो, में से जो अधिक हो ।

(3) जहां उपधारा (1) में किसी लेखा वर्ष की बाबत, आबंटनीय अतिशेष उस उपधारा के अधीन कर्मचारी को संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से अधिक हों तो नियोजक ऐसे न्यूनतम बोनस के स्थान पर उस लेखा वर्ष की बाबत प्रत्येक कर्मचारी को संदाय करने को बाध्य होगा ; यह बोनस ऐसी मजदूरी के बीस प्रतिशत के अधिकतम के अध्यधीन संगणना के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुपात में रकम होगी ।

(4) इस धारा के अधीन आबंटनीय अतिशेष की गणना करते समय धारा 36 के उपबंधों के अधीन रकम को आगे के लिए रखना या रकम के मुजरा किया जाना उस धारा के उपबंधों के अनुसरण में रकम को लिया जाना चाहिए ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोनस की अधिकता में बोनस के लिए कोई मांग या तो उत्पादन या उत्पादिकता के आधार पर किसी लेखा वर्ष में जिसमें बोनस संदेय है, नियोजक या कर्मचारियों के मध्य करार या समझौता इस शर्त के अध्यधीन कि बोनस जिसमें धारा (1) में निर्दिष्ट वार्षिक न्यूनतम बोनस लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(6) प्रथम पांच लेखा वर्षों में आने वाले लेखा वर्ष जिससे नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल को बेचता है या सेवा देता है, यथास्थिति, ऐसे स्थापन से बोनस केवल इस लेखा वर्ष की बाबत जिसमें नियोजक ऐसे स्थापन से लाभ व्युतपन्न करता है, संदेय किया जाएगा और ऐसा बोनस उस वर्ष के संबंध में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार बिना धारा 36 में उपबंध लागू किए संगणित किया जाएगा ।

(7) छठे और सातवें वर्ष के लिए आने वाले लेखा वर्ष में जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल बेचता है या सेवा प्रदान करता है, यथास्थिति, ऐसे स्थापन से धारा 36 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) छठे लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने, यथास्थिति, अधिकता या कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, यदि, यथास्थिति, पांचवें या छठे वर्ष के बाबत आबंटित अतिशेष आगे रखे जाएंगे या मुजरा किए जाएंगे ;

(ii) सातवें लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने, यथास्थिति, अधिक या कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, यदि, यथास्थिति, पांचवे, छठें और सातवें लेखा वर्ष में आबंटित अतिशेष को आगे रखे या मुजरा किए जाएंगे ।

(8) आठवें लेखा वर्ष से आगामी लेखा वर्ष में, जिसमें नियोजक अपने द्वारा, यथास्थिति, उत्पादित या विनिर्मित माल बेचता है या सेवा प्रदान करता है, ऐसे स्थापन से धारा 36 के उपबंध ऐसे स्थापनों के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य स्थापन के संबंध में लागू होते ।

स्पष्टीकरण 1—उपधारा (6) के प्रयोजन के लिए कोई नियोजक किसी लेखा वर्ष में लाभ प्राप्त पाने वाला नहीं समझा जाएगा, जब तक—

(क) उसने उक्त वर्ष के मूल्य ह्रास के लिए उपबंध किया हो जिसके वह, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम, कृषि आय-कर विधि के अधीन हकदार है और

(ख) ऐसे मूल्य ह्रास और उसके द्वारा की हानियों के बकाया उसके लाभ के विरूद्ध पहले लेखा वर्ष के लिए स्थापन की बाबत पूर्णतः मुजरा किए जा चुके है ।

स्पष्टीकरण 2—उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए किसी कारखाने के प्राथमिक परीक्षण के दौरान माल, उत्पादित माल या विनिर्मित माल का विक्रय या किसी खान या तेल क्षेत्र की संभावित प्रास्थिति को विचार में नहीं लिया जाएगा और जहां कोई प्रश्न ऐसे उत्पादन या विनिर्माण के संबंध में उठता है वहीं समुचित सरकार पक्षकारों के मामले को प्रतिवेदित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मुद्दे को विनिश्चय करेगी ।

(9) उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, जहां तक हो सके, विद्यमान स्थापनों द्वारा स्थापित किए नए विभागों या उपक्रमों या शाखाओं को लागू होंगे ।

कतिपय मामलों में बोनस में कमी का अनुपात ।

27. जहां कोई कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्यरत दिनों में कार्य नहीं करता है तो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम बोनस, यदि ऐसा बोनस लेखा वर्ष में ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए कार्य के वेतन या मजदूरी में और तिहाई प्रतिशत से उच्चतर हो तो आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा ।

काम के दिनों की संख्या की संगणना ।

28. कर्मचारी की बाबत यह बात धारा 13 के प्रयोजनों के लिए समझी जाएगी कि उसने किसी लेखा वर्ष के स्थापन में उन दिनों में भी काम किया है जिन दिनों,–

(क) वह किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन स्थायी आदेश द्वारा यथा अनुज्ञात रूप में या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन या स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन कामबंदी में रखा गया है ;

1946 का 20

1947 का 14

(ख) वह वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है ;

(ग) वह अपने नियोजन से उद्भूत और उसके अनुक्रम में दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है ; और

(घ) लेखा वर्ष के दौरान वह कर्मचारी वेतन या मजदूरी के सहित छुट्टी पर रहा है ।

बोनस के लिए अनर्हता ।

29. इस अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन बोनस प्राप्त करने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

(क) कपट ; अथवा

(ख) स्थापन के परिसर में होते हुए किसी बलवात्मक या हिंसात्मक आचरण ; अथवा

(ग) स्थापन की किसी संपत्ति की चोरी, उसमें दुर्विनियोग या अभिध्वंस के कारण सेवाच्युत कर दिया जाता है ; या

(घ) यौन उत्पीड़न के लिए दोष सिद्ध,

के कारण सेवा से सेवाच्युत कर दिया गया हो ।

स्थापन, जिसके अंतर्गत विभाग, उपक्रम और शाखाएं ।

30. जहां किसी स्थापन के विभिन्न विभाग या उपक्रम या शाखाएं चाहे वह समान स्थान या विभिन्न स्थानों पर स्थित है, सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखाएं उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस के परिकलन के प्रयोजनों के लिए उस समान स्थापन के भागों के रूप में माने जाएंगे :

परंतु यह कि जहां किसी लेखा वर्ष के लिए पृथक् तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा तैयार किया जाता है और किसी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा के संबंध में रखे जाते है वहां वे उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस में संगणना के प्रयोजन के लिए पृथक् स्थापन समझे जाएंगे जब तक कि ऐसा विभाग या उपक्रम या शाखा उस लेखा वर्ष के तुरंत प्रारंभ से पहले बोनस के प्रयोजन के लिए स्थापन का भाग समझे जाएंगे ।

आबंटित अतिशेष में से बोनस का संदाय ।

31. (1) बोनस आबंटित अतिशेष से संदाय किया जाएगा जो बैंक कंपनी की दशा में साठ प्रतिशत की रकम और अन्य स्थापन की दशा में सड़सठ प्रतिशत उपलब्ध अतिशेष की रकम के बराबर होगी और उपलब्ध अतिशेष धारा 33 के अनुसरण में संगणित रकम होगी ।

(2) कंपनियों के संपरीक्षित लेखा सामान्यतः प्रश्नगत नहीं होंगे ।

(3) जहां बोनस की मात्रा के संबंध में कोई विवाद होता है तो अधिकारिता रखने वाली समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण नियोजक को तुलनपत्र अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकेगा लेकिन प्राधिकरण नियोजन द्वारा सहमत हुए बिना तुलनपत्र की सूचना प्रकट नहीं करेगा ।

सकल लाभ की संगणना ।

32. नियोजक द्वारा लेखा वर्ष की बाबत स्थापन से व्युत्पन्न सकल लाभ,—

(क) बैंकिंग कंपनी की दशा में ऐसी विनिर्दिष्ट रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संगणित किया जाएगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसी विनिर्दिष्ट रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा

विहित की जाए, संगणित किया जाएगा ।

उपलब्ध अतिशेष की संगणना ।

33. किसी लेखा वर्ष के संबंध में उपलब्ध अतिशेष, धारा 34 में निर्दिष्ट योग से कटौती के पश्चात् उस वर्ष का सकल लाभ होगा :

परंतु उपलब्ध अतिशेष इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् किसी वर्ष में किसी दिन पर संगणित वर्ष के संबंध में और प्रत्येक पश्चातवर्ती लेखा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित के पूर्णयोग को होगा—

(क) धारा 34 में निर्दिष्ट राशि से कटौती के पश्चात् उस लेखा वर्ष के लिए सकल लाभ ;

(ख) निम्नलिखित के अंतर के समान रकम होगी—

(i) धारा 35 के उपबंधों के अनुसरण में संगणित प्रत्यक्ष कर तुरंत आने वाले लेखा वर्ष के लिए नियोजक का सकल लाभ के लिए समान रकम होगी ; और

(ii) प्रत्यक्ष कर धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त वर्ष में इस संहिता के उपबंधों के अनुसरण में बोनस की रकम के जिसे नियोजक ने संदत्त किया है या अपने कर्मचारी को संदेय योग्य है । कटौती के पश्चात् ऐसे आगामी लेखा वर्ष के लिए नियोजक के सकल लाभ के समतुल्य रकम के संबंध में धारा 35 के उपबंधों के अनुसरण में संगणित होगा ।

सकल लाभों से कटौती योग्य राशियां ।

34. सकल लाभ से निम्नलिखित राशियों की पूर्व प्रभार के रूप में कटौती की जाएगी, अर्थात् :—

(क) आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंधों या कृषि आय-कर विधि के उपबंधों को तत्समय प्रवृत्त विधि के, यथास्थिति, के अनुसरण में अनुज्ञेय द्वारा ह्रास के माध्यम द्वारा की रकम :

(ख) धारा 35 के उपबंधों के अध्यधीन कोई प्रत्यक्ष कर, जिसको नियोजक उस वर्ष के दौरान अपने आप लाभ और अभिलाभ के संबंध में लेखा वर्ष के लिए देय करने के लिए दायी होगा ;

(ग) नियोजक की बाबत ऐसी और राशि, जो केन्द्रीय सरकार दवारा विहित की जाए ।

नियोजक द्वारा संदेय प्रत्यक्ष कर का परिकलन ।

35. इस संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी लेखा वर्ष के लिए नियोजक द्वारा संदेय कोई प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन उस वर्ष के लिए नियोजक की आय को लागू दरों पर संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे कर की संगणना में कुछ नहीं लिया जाएगा,—

(i) किसी पिछले लेखा वर्ष की बाबत नियोजन द्वारा उद्भूत और प्रत्यक्ष करों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ले जाई गई कोई हानि ;

(ii) किसी ह्रास का बकाया जिसका नियोजन आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती लेखा वर्ष या वर्षों के लिए ह्रास के लिए भत्ते की रकम के लिए जोड़ने का हकदार होगा ;

(ख) जहां नियोजक धार्मिक या पूर्त संस्था है जिसको धारा 41 के उपबंध लागू नहीं होता और इसकी आय का पूर्णतः या कोई भाग आय-कर अधिनियम, 1965 के अधीन कर से छूट प्राप्त है वहां इस प्रकार छूट प्राप्त आय के संबंध में ऐसी संस्था, यदि वह एक कंपनी होती है, के रूप में जिसमें पब्लिक उस अधिनियम के अर्थ में सारतः हितबद्ध है, माना जाएगा । 1965 का 10

(ग) जहां नियोजक एक व्यष्टि है या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजक द्वारा संदत्त कर इस आधार पर संगणित किया जाएगा कि उसके द्वारा स्थापन से व्युतपन्न आय केवल उसकी आय है ;

(घ) जहां किसी नियोजक की कोई आय जिसमें भारत से बाहर व्यापार किए या निर्यात किए गए माल से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है और ऐसी आय पर छूट प्रत्यक्ष कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञेय है वहां ऐसी छूट को लेखा में नहीं लिया जाएगा ;

(ङ) किसी उद्योग के विकास के लिए सुसंगत वार्षिक वित्त अधिनियम के अधीन या प्रत्यक्ष कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रत्यक्ष कर के संदाय में विकास छूट या विनिधान भत्ते या विकास भत्ते या उधार या उन्मुक्ति या कटौती, इस धारा में निर्दिष्ट नहीं है, लेखा में नहीं ली जाएंगी ।

आबंटनीय अधिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरा किया जाना ।

36. (1) जहां किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष धारा 26 के अधीन उस स्थापन में सब कर्मचारियों को संदेय अधिकतम बोनस की रकम से अधिक है वहां वह आधिक्य उस लेखा वर्ष में उस स्थापन में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी में बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए उत्तरवर्ती लेखा के लिए और उसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा भी सम्मिलित है और इसमें ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आगे रखे जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा ।

(2) जहां किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलभ्य अधिशेष नहीं है या उस वर्ष की बाबत आबंटनीय अधिशेष उस स्थापन के कर्मचारियों को धारा 10 के अधीन संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से कम पड़ता है और उपधारा (1) के अधीन अग्रनीत और आगे के लिए रखी गई कोई भी ऐसी रकम या पर्याप्त रकम नहीं है जो न्यूनतम बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सके, वहां, यथास्थिति, ऐसी न्यूनतम रकम या कमी को उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा वर्ष भी सम्मिलित है उस रीति में, जो केन्द्रीय सरकार दवारा विहित की जाए, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन नियमों में उपबंध किया जाए कि रखे जाने या मुजरा किए जाने के सिद्धांत, इस अधिनियम के अधीन बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों को लागू होगा ।

(4) जहां किसी लेखा वर्ष में अग्रनीत कोई रकम इस धारा के अधीन अग्रनीत की गई या मुजरा की गई है, वहां उत्तरवर्ती लेखा वर्ष के लिए बोनस की संगणना करने में,

पूर्वतर लेखा वर्ष के आगे के लिए रखी गई या मुजरा की गई अग्रनीत रकम, प्रथमतः लेखा में ली जाएगी ।

इस संहिता के अधीन संदेय बोनस के विरूद्ध रूढ़िगत या अंतरिम बोनस का समायोजन ।

37. जहां किसी लेखा वर्ष में,—

(क) नियोजक के कर्मचारी को कोई पूजा बोनस या रूढ़िगत बोनस दे दिया है ; या

(ख) नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन संदेय बोनस का की भाग ऐसे बोनस के संदेय हो जाने की तारीख से पूर्व कर्मचारी को दे दिया है,

वहां नियोजक हकदार होगा कि वह उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन अपने द्वारा उस कर्मचारी को संदेय बोनस की रकम में से उस प्रकार संदत्त बोनस की रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी केवल बाकी को प्राप्त करने का हकदार होगा ।

संदेय बोनस में से कतिपय रकमों की कटौती ।

38. जहां कोई कर्मचारी ऐसे अवचार का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है जिससे नियोजक को वित्तीय हानि कारित होती है वहां नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बोनस की उस रकम में से, जो केवल उस लेखा वर्ष की बाबत इस संहिता के अधीन उस द्वारा कर्मचारी को संदेय हो, हानि की उस रकम की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी बाकी, यदि कोई हों, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

बोनस के संदाय के लिए समय परिसीमा ।

39. (1) इस संहिता के अधीन बोनस के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकम उसके नियोजक द्वारा लेखा वर्ष के समाप्त होने से आठ मास की अवधि के भीतर कर्मचारी को उसके बैंक खाते में जमा करने के द्वारा संदत्त होगी :

परंतु समुचित सरकार या ऐसा प्राधिकारी, जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियोजक द्वारा उससे आवेदन किए जाने पर और पर्याप्त कारणों के लिए, आदेश द्वारा, उक्त आठ मास की कालावधि को इतनी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों से बढ़ा सकेगा, जितनी वह ठीक समझे, किंतु इस प्रकार बढ़ाई गई कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राधिकारी के समक्ष बोनस के संदाय से संबंधित कोई विवाद लंबित है, उस तारीख से, जिसको विवाद के संबंध में पंचाट प्रवृत्त होता है या समाधान प्रवर्तन में आता है, एक मास की अवधि के भीतर ऐसा बोनस संदत्त किया जाएगा :

परंतु जहां उच्चतर दर पर संदाय के लिए विवाद हो तो नियोजक लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ मास की अवधि के भीतर इस संहिता के उपबंध के अनुसार कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का आठ और एक तिहाई प्रतिशत संदत्त करेगा ।

कतिपय दशाओं में पब्लिक सेक्टर स्थापनों को इस अध्याय को लागू होना ।

40. (1) यदि कोई पब्लिक सेक्टर स्थापन किसी लेखा वर्ष में किसी प्राइवेट सेक्टर स्थापन की प्रतियोगिता में कोई माल, जो उस द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है, बेचता है या कोई सेवा करता है और ऐसे विक्रय या दोनों से प्राप्त आय उस वर्ष में उसकी सकल आय के बीस प्रतिशत से कम है तो इस अधिनियम के उपबंध ऐसे पब्लिक सेक्टर स्थापन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे तदरूप सेक्टर स्थापन के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय इस अध्याय की कोई बात

ऐसे कर्मचारियों को लागू नहीं होगी जो पब्लिक सेक्टर के किसी स्थापन में नियोजित है ।

इस अध्याय का लागू न होना ।

41. (1) इस अध्याय की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियोजित कर्मचारी ;

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (42) में यथापरिभाषित नाविक ; 1958 का 44

(ग) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारियों और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध कर्मचारी ; 1948 का 9

(घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग के प्राधिकार के अधीन किसी स्थापन द्वारा नियोजित कर्मचारी ;

(ङ) निम्नलिखित द्वारा नियोजित कर्मचारी—

(i) इंडियन रेडक्रास सोसाइटी या उसी प्रकृति की कोई अन्य संस्था, जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएं भी हैं ;

(ii) विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं ;

(iii) संस्थाएं, जिसके अंतर्गत अस्पताल, वाणिज्य चैम्बर तथा सामाजिक कल्याण संस्थाएं हैं, जिनकी स्थापना लाभ के प्रयोजन के लिए नहीं की गई है ;

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित कर्मचारी ;

(छ) किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न पब्लिक सेक्टर वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियोजित कर्मचारी, जिनको केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(i) उसका पूंजी ढांचा ;

(ii) उसका उद्देश्य और उसके कार्यकलापों की प्रकृति ;

(iii) सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता या किसी छूट की प्रकृति और विस्तार ; और

(iv) कोई अन्य सुसंगत कारक ;

(ज) किसी अन्य देश से गुजर रहे मार्गों से प्रचालन कर रहे अंतर्देशीय जल परिवहन स्थापनाओं द्वारा नियोजित कर्मचारी ; और

(झ) अन्य स्थापनों के कर्मचारी, जिन्हें समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थापनों में कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बांटने की किसी अन्य स्कीम के अधीन समग्र फायदों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान करें ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबंध ऐसे स्थापनों को लागू होंगे, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या किसी लेखांकन वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन नियोजित थे ।

अध्याय 5

सलाहकार बोर्ड

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड ।

42. (1) केंद्रीय सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों से मिलकर बनेगा—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ;

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे ; और

(घ) राज्य सरकारों के ऐसे पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और उक्त उपधारा के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट एक सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड समय-समय पर निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों के निर्देश पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा,--

(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबद्ध विषय ;

(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करना ;

(ग) वह सीमा जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापनों या नियोजनों में नियोजित किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ; और

(घ) इस संहिता से संबंधित कोई अन्य विषय,

और ऐसी सलाह पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह बोर्ड को निर्दिष्ट मुद्दों के संबंध में विषयों की बाबत उचित समझे ।

(4) प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी—

(क) न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका पुनरीक्षण और अन्य संबद्ध विषय ;

(ख) महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ;

(ग) उस सीमा के संबंध में, जिस तक महिलाओं को ऐसे स्थापनों या नियोजनों में नियोजित किया जा सके जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ; और

(घ) इस संहिता से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में, जिसे राज्य

सरकार समय-समय पर बोर्ड को निर्दिष्ट करे ।

(5) राज्य सलाहकार बोर्ड उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक या उससे अधिक समितियों या उप समितियों का गठन कर सकेगा ।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड और उसकी प्रत्येक समिति और उप-समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी—

(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ;

(ख) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होंगे ; और

(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं होंगे ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और उक्त उपधारा के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य की नियुक्ति—

(क) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी ;

(ख) राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा, यथास्थिति, समिति या उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में की जाएगी ।

(8) राज्य सलाहकार बोर्ड उपधारा (4) के खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों पर सलाह देते समय, यथास्थिति, संबंधित स्थापन या नियोजन में नियोजित महिलाओं की संख्या, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटें, नियोजन के लिए महिलाओं की उपयुक्तता, महिलाओं को नियोजन के बढ़ते हुए अवसर प्रदान करने और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को, जो बोर्ड उचित समझे, ध्यान में रखेगा ।

(9) राज्य सरकार उसे राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् तथा स्थापनों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार उचित समझे, से अभ्यावेदनों को आमंत्रित करने और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी करेगी जैसा आवश्यक समझा जाए ।

(10) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड क्रमश: अपनी स्वयं की प्रक्रिया का यथा विहित रीति में विनियमन करेंगे ।

(11) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड की पदावधि, जिसके अन्तर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों और उप समितियों की पदावधि भी है, वह होगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

शोध्यों, दावों का संदाय और लेखापरीक्षा

विभिन्न शोध्यों का संदाय करने का उत्तरदायित्व ।

43. प्रत्येक नियोजक, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को इस संहिता के अधीन अपेक्षित सभी रकमों का संदाय करेगा :

परंतु जहां ऐसा नियोक्ता इस संहिता के अनुसरण में ऐसे संदाय को करने में असफल रहता है वहां कंपनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का स्वत्वधारी, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं ऐसे संदाय को करने का उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "फर्म" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में है ।

1932 का 9

किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों का संदाय ।

44. (1) इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकमें, यदि ऐसी रकमों के संदाय से पूर्व उसकी मृत्यु के लेखें या उसका पता ज्ञात न होने के कारण संदाय नहीं किया जा सका है या नहीं किया जा सकता है, तो—

(क) उनका संदाय उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ; या

(ख) जहां ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या जहां किसी कारण से ऐसी रकम का इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदाय नहीं किया जा सकता है तो वहां उस रकम को ऐसे प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, के पास जमा कर दिया जाएगा, वह उस रकम से उस रीति में, जो विहित की जाए, व्यौहार करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकमों को—

(क) इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा ; या

(ख) नियोक्ता द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा,

तब नियोक्ता को उन रकमों का संदाय करने के दायित्व से निर्मुक्त किया जाएगा ।

संहिता के अधीन दावे और उनकी प्रक्रिया ।

45. (1) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून एक या अधिक प्राधिकारियों को इस संहिता के उपबंधों के अधीन उद्भूत दावों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, उस उपधारा के अधीन दावे का विनिश्चय करते समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिनके अधीन दावा उद्भूत हुआ है, अवधारित दावे के अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय अवधारित दावे से दस गुणा तक हो सकेगा और प्राधिकारी द्वारा दावे का विनिश्चय तीन मास की कालावधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा ।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा (2) के अधीन अवधारित दावे का और आदेश किए गए प्रतिकर का संदाय करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकारी उस जिले, जिसमें स्थापन अवस्थित है, के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को वसूली का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उनकी भू-राजस्व के बकाया के समान वसूली करेगा तथा उन्हें प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी को संदाय करने के लिए जमा करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे के लिए प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदन को

निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा—

(क) संबंधित कर्मचारी ; या

(ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ को, जिसका कर्मचारी सदस्य है ; या 1926 का 16

(ग) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता ।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की किसी भी संख्या के संबंध में या उनके निमित्त इस धारा के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन आवेदन उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावे के उद्भूत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर फाइल किया जा सकेगा :

परंतु उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर विलंब की अवधि का उपमर्षण कर सकेगा ।

(7) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी और धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, धारा 49 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन साक्ष्य लेने और साक्षियों की उपस्थिति प्रवृत्त करने के लिए तथा दस्तावेज देने के लिए विवश करने की सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी तथा प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा । 1908 का 5 1974 का 2

संहिता के अधीन विवादों का निदेश ।

46. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां—

(क) इस संहिता के उपबंधों के अधीन संदेय बोनस के संबंध में ; या

(ख) इस संहिता के लागू होने के संबंध में, बोनस के संबंध में पब्लिक सेक्टर के किसी स्थापन के संबंध में,

किसी नियोक्ता और उसके कर्मचारी के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तब ऐसे विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ में औद्योगिक विवाद समझा जाएगा । 1947 का 14

निगमों और कंपनियों के तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे के सही होने के संबंध में अवधारणा ।

47. (1) जहां, यथास्थिति,—

(क) धारा 45 के अधीन प्राधिकारी ; या

(ख) धारा 49 के अधीन अपील प्राधिकारी ; या

(ग) अधिकरण ; या

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा (2) के खंड (कक) में निर्दिष्ट मध्यस्थ,

के समक्ष कार्यवाहियों के प्रक्रम में (जिसे इस धारा में "उक्त प्राधिकारी" कहा गया है) जिसे धारा 46 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद निर्दिष्ट किया गया है, किसी नियोक्ता, जो निगम या कोई कंपनी (किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न) है, का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, जिसकी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 141 के अधीन कंपनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्ता अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब उक्त प्राधिकारी यह अवधारण कर सकेगा कि ऐसे तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखें में अंतर्विष्ट विवरणियां और विशिष्टियां सही हैं तथा निगम या कंपनी के लिए ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता को किसी शपथ-पत्र या किसी अन्य रीति से साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी :

परंतु जहां उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निगम या कंपनी का तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा सही नहीं है तो वह ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ऐसे विवरणों और विशिष्टियों की शुद्धता का पता लगाने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) जब किसी व्यवसाय संघ द्वारा, जो किसी विवाद में पक्षकार है, या जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, कर्मचारियों द्वारा किसी विवाद में पक्षकार होने के नाते तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखे के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो वह स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा स्पष्टीकरण आवश्यक है, आदेश द्वारा, यथास्थिति, निगम या कंपनी को व्यवसाय संघ या कर्मचारियों को ऐसा स्पष्टीकरण ऐसे समय के भीतर, जो यथास्थिति, कंपनी या निगम को निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, देने का निदेश देगा और यथास्थिति, निगम या कंपनी ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी ।

नियोक्ताओं, जो निगम या कंपनी नहीं हैं, के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।

48. (1) जहां किसी नियोक्ता, जो निगम या कंपनी नहीं है और उसके कर्मचारियों के बीच धारा 46 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद उस धारा के अधीन उक्त प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है और ऐसे नियोक्ता के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के उपबंधों के अधीन कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्ता अर्हित किसी लेखा परीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित लेखे उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेखा परीक्षित लेखाओं को लागू होंगे ।

(2) जहां उक्त प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसे नियोजक के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई है और उसका यह मत है कि उसे निर्दिष्ट प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए ऐसे नियोजक के लेखाओं की लेखा परीक्षा आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा नियोजक को उसके लेखाओं की लेखा परीक्षा ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या ऐसे और समय के भीतर, जो वह अनुज्ञात करे, ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों, जैसा वह उचित समझे, द्वारा की जाए तथा तत्पश्चात् नियोजक ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा ।

(3) जहां कोई नियोजक उपधारा (2) के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी धारा 54 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखाओं की ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों, जैसा वह ठीक समझे, द्वारा लेखा परीक्षा करा सकेगा ।

(4) जब उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा की जाती है तो धारा 47 के उपबंध यथाशक्य इस प्रकार लेखापरीक्षित लेखाओं को लागू होंगे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के व्यय और उससे अनुषंगी व्यय, जिसके

अंतर्गत लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक है, का अवधारण उक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उनको नियोजक द्वारा संदत्त किया जाएगा तथा ऐसे संदाय का व्यतिक्रम धारा 45 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता से उस उपधारा में उपबंधित रीति में वसूलनीय होगा ।

अपील ।

49. (1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति समुचित सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को ऐसे आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, अपील कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी या बोर्ड 90 दिन के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील फाइल करने में विलंब पर्याप्त कारण से कारित हुआ है ।

(2) अपील प्राधिकारी, समुचित सरकार के धारा 45 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से एक उच्चतर रैंक के पदधारी में से नियुक्त किया जाएगा ।

(3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अपील का निपटान करेगा और अपील को तीन मास की कालावधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा ।

(4) यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या बोर्ड के आदेशों के अधीन बकाया शोध्यों की वसूली धारा 45 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रीति में वसूली प्रमाणपत्र जारी करके की जाएगी ।

अभिलेख, रिटर्न और सूचनाएं ।

50. (1) स्थापन का प्रत्येक नियोक्ता, जिसे यह संहिता लागू होती, एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मास्टर रोल मजदूरी के संबंध में ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) प्रत्येक नियोक्ता स्थापन के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट में एक सूचना प्रदर्शित करेगा जिसमें इस संहिता का सार कर्मचारियों की प्रवर्गवार मजदूरी दरें, मजदूरी अवधि, मजदूरी के संदाय का दिन या तारीख और समय तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता का नाम और पता होगा ।

(3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों को यथा विहित मजदूरी पर्चियां जारी करेगा ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) के उपबंध नियोक्ताओं को कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को नियोजित करने की सीमा तक लागू नहीं होंगे :

परंतु ऐसा नियोक्ता, जब मांग की जाएं, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के समक्ष इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों को मजदूरियों का संदाय करने का युक्तियुक्त सबूत प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "घरेलू प्रयोजन" पद से अनन्य रूप से वह प्रयोजन अभिप्रेत है, जो नियोक्ता के गृह या कुटुंब के कार्यों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत स्थापना, उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या वृत्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं है ।

अध्याय 7

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता

निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

51. (1) समुचित सरकार, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता नियुक्त कर सकेगी जो, ऐसे राज्य और भौगोलिक सीमाओं में स्थित एक या अनेक स्थापनों के संबंध में नियत सर्वत्र राज्य या ऐसी भौगोलिक सीमाओं पर या, यथास्थिति, समुचित सरकार द्वारा उनको नियत एक या अनेक स्थापनों, भौगोलिक सीमाओं का विचार किए बिना उपधारा (4) के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(2) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा एक निरीक्षण स्कीम बनाएगी, जो वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची तैयार करने का उपबंध करेगी ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, जो ऐसे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण करने के लिए दृच्छित चयन की ऐसी अधिकारिता प्रदान करेगी ।

1860 का 45

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

(5) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए—

(क) इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने संबंधी नियोक्ताओं और कर्मकारों को और सलाह देगा ;

(ख) समुचित सरकार दवारा उन्हें यथासमनुदेशित स्थापनों का निरीक्षण करेगा ।

(6) निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी स्थापना के परिसर में पाए गए किसी व्यक्ति की जांच करेगा, जिसके लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह स्थापना का कर्मकार है ;

(ख) किसी व्यक्ति से सूचना देने की अपेक्षा करेगा, जिससे व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में सूचना देना उसकी शक्ति में है ;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या उनकी सूचनाओं या भागों की तलाशी लेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा या उनकी प्रतियां बना सकेगा, जो निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता इस संहिता के अधीन किसी अपराध के संबंध में सुसंगत समझे और जिसके लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अपराध किसी नियोक्ता द्वारा कारित किया गया है ;

(घ) समुचित सरकार की सूचना में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कवर न की जाने वाली त्रुटियों या दुरूपयोग को लाएगा ; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए ।

(7) उपधारा (5) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज या निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी की अपेक्षा भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थान्तर्गत विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा । 1860 का 45

(8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (5) के अधीन तलाशी या अभिग्रहण भी लागू होंगे जैसे कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन प्राधिकारी के वारंट के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं । 1974 का 1

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

अपराधों का संज्ञान ।

52. (1) कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सिवाय समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा या व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापार संघ या किसी निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की शिकायत पर नहीं लेगा । 1926 का 16

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा । 1974 का 2

कतिपय मामलों में सरकार के समुचित अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

53. (1) धारा 52 में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) तथा उपधारा (2) और धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को ऐसी रीति में जांच करने के लिए नियुक्ति कर सकेगी, जो विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पास जांच करते समय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित है, साक्ष्य देने या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ऐसे के उपबंधों के अनुसार ठीक समझता है ।

अपराधों के लिए शास्तियां ।

54. (1) कोई नियोक्ता, जो,—

(क) किसी कर्मचारी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन देय रकम से कम रकम का संदाय करता है, जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ख) खंड (क) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध होने पर इस खंड के अधीन पहले या पश्चातवर्ती अपराध को कारित करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर समान अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध के कारित करने पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो

एक लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ;

(ग) इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या जारी किए गए किसी आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो बीस हजार रूपए तक का हो सकेगा ;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात् पहले या पश्चातवर्ती अपराध को कारित करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर इस खंड के अधीन समान अपराध का दोषी पाए जाने पर अपराध को इस खंड के अधीन दूसरे और पश्चातवर्ती कारित करने के लिए वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से चालीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्थापन में अभिलेखों के न रखे जाने या उपयुक्त रूप से न रखे जाने के अपराध के लिए नियोक्ता जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता अभियोजन कार्यवाहियां संस्थित करने से पूर्व नियोक्ता को इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए लिखित निदेश के माध्यम से एक अवसर प्रदान करेगा, जिसमें ऐसे अनुपालन के लिए समयावधि अधिकथित होगी और यदि नियोक्ता ऐसी कालावधि के दौरान निदेशों का अनुपालन करता है तो निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता अभियोजन कार्यवाहियां संस्थित नहीं करेगा और नियोक्ता को ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा यदि इस संहिता के अधीन उसी प्रकृति का उल्लंघन उस तारीख से, जिसको पहला उल्लंघन कारित किया गया था से पांच वर्ष की कालावधि के दौरान दोहराया जाता है और उस दशा में इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अभियोजन संस्थित किया जाएगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

55. (1) यदि इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी

समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत–

(i) कोई फर्म ; या

2009 का 6

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी ; या

(iii) व्यष्टिकों का कोई अन्य संगम ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का प्रशमन ।

56. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, अभियुक्त व्यक्ति के किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या उसके पश्चात् आवेदन पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जैसा समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, का ऐसे अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने की अधिकतम रकम के पचास प्रतिशत तक यथाविहित रीति में उपशमन किया जा सकेगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार या तत्पश्चात् निम्नलिखित तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी–

(i) किसी समान अपराध को कारित करने पर, जिसका पहले उपशमन किया गया था ;

(ii) किसी समान अपराध को कारित करने पर, जिसके लिए व्यक्ति को पहले दोषसिद्ध ठहराया गया था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए अपराधों के उपशमन की शक्तियों का निर्वहन करेगा ।

(4) अपराधों के उपशमन के लिए प्रत्येक आवेदन उस रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) जहां किसी अपराध का उपशमन अभियोजन संस्थित होने से पूर्व किया जाता है तो ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरूद्ध, जिसके संबंध में अपराध का उपशमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अपराध का प्रशमन किसी अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे उपशमन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा न्यायालय की सूचना में, जिसमें अभियोजन लंबित है, लिखित में लाया जाएगा और अपराध के उपशमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार उपशमन किया गया है, को निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश

का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य राशि का जुर्माने के अतिरिक्त संदाय करने का दायी होगा ।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का उपशमन सिवाय इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

वाद का वर्जन ।

57. कोई न्यायालय न्यूनतम मजदूरियों, मजदूरियों से किसी कटौती, मजदूरियों और बोनस के संदाय में किसी भेदभाव की वसूली के लिए किसी वाद को स्वीकार नहीं करेगा, जहां तक दावा की गई राशि–

(क) धारा 45 के अधीन दावे की विषय-वस्तु नहीं है ;

(ख) इस संहिता के अधीन किसी निदेश का विषय बन गई है ;

(ग) इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायनिर्णीत की गई है ;

(घ) को इस संहिता के अधीन वसूल किया जा सकता है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

58. इस संहिता के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

सबूत का भार ।

59. जहां पारिश्रमिक या बोनस का संदाय न करने के कारण या मजदूरी या बोनस के कम संदाय के कारण या इस संहिता के अधीन प्राधिकृत न की गई कटौतियों को किसी कर्मचारी की मजदूरी से काटने पर, यह साबित करने का भार कि ऐसे शोध्यों का संदाय किया गया है, नियोक्ता पर होगा ।

संविदा द्वारा त्यजन ।

60. कोई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मचारी इस संहिता के अधीन किसी रकम के प्रति अधिकार या उसे देय बोनस के अधिकार का त्यजन कर देता है, जहां तक वह इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति के, ऐसी रकम के दायित्व को हटाने या उसे कम करने के लिए तात्पर्यित है, अकृत और शून्य होगा ।

इस संहिता से असंगत विधियों, करारों आदि का प्रभाव ।

61. इस संहिता के उपबंधों का उनसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात या किसी पंचाट, करार, समझौते या सेवा की संविदा के होते हुए भी प्रभाव होगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

62. समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश देगी कि उसके द्वारा इस संहिता के अधीन निर्वहन की जाने वाली ऐसे विषयों के संबंध में कोई शक्ति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित द्वारा निर्वहनीय होगी—

(क) जहां समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) जहां समुचित सरकार राज्य सरकार है वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ

ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

कतिपय मामलों में नियोक्ता को दायित्व से छूट ।

63. जहां किसी नियोक्ता पर इस संहिता के अधीन किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है वहां वह उसके द्वारा सम्यक्तः की गई शिकायत पर किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर वह वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है, आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का पात्र होगा और यदि अपराध किए जाने को साबित करने के पश्चात् नियोक्ता न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि—

(क) उसने इस संहिता के निष्पादन के लिए सम्यक् सावधानी बरती थी ; और

(ख) यह कि उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नाधीन अपराध उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना किया था,

तो अन्य व्यक्ति को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाएगा और वह उस दंड का दायी होगा मानो वह नियोक्ता था और नियोक्ता को इस संहिता के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में दायित्व से निर्मुक्त कर दिया जाएगा :

परंतु पूर्वोक्तानुसार साबित करने के लिए नियोक्ता की शपथ-पत्र पर जांच की जाएगी तथा नियोक्ता और अन्य साक्षी, जिसे वह अपनी सहायता के लिए बुलाता है, का साक्ष्य उस व्यक्ति के निमित्त, जिस पर नियोक्ता वास्तविक अपराधी का आरोप लगाता है की और अभियोजन की प्रतिपरीक्षा के अधीन होगा ।

सरकार के पास नियोक्ता की आस्तियों की कुर्की के विरूद्ध सरंक्षण ।

64. किसी नियोक्ता द्वारा समुचित सरकार के पास उस सरकार के साथ किसी संविदा के सम्यक् निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए जमा कोई रकम तथा उस सरकार से उस संविदा के संबंध में ऐसे नियोक्ता को शोध्य अन्य रकम नियोक्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में सिवाय पूर्वोक्त संविदा से संबद्ध किसी नियोजित कर्मचारी की तरफ नियोक्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व से भिन्न किसी दायित्व के लिए किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन जमा रकम कुर्की के अधीन नहीं होगी ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

65. केंद्रीय सरकार किसी राज्य में इस संहिता के निष्पादन को करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देगी तथा राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

व्यावृत्ति ।

66. इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई बात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 या उसके तदधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी । 2005 का 42 1948 का 46

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

67. (1) समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस संहिता के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वहां मजदूरियों की संगणना करने की रीति जहां ऐसी दरें धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन घंटा या दिवस या मास के आधार पर नियत की जाती है ;

(ख) कठिन कार्य को धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों

के कतिपय प्रवर्ग के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के अतिरिक्त विचार में लिया जाए ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन मानदंड ;

(घ) वह मामले और परिस्थितियां, जिनमें किसी कर्मचारी को सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले अपेक्षित घंटों से कम कालावधि के लिए नियोजित किया जाता है, जो धारा 10 के अधीन सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन वह सीमा और शर्तें जो कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के संबंध में लागू होंगी ;

(च) धारा 14 के अधीन घंटा, दिवस या ऐसी अन्य दीर्घ मजदूरी अवधि द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने की रीति ;

(छ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपखंड (i) के अधीन श्रम के कल्याण के लिए गठित किसी निधि से कटौती की रीति ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अधिक रकम की वसूली की रीति ;

(झ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करना ;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्यों और लोपों के प्रदर्शन की रीति ;

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया ;

(ठ) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन सभी जुर्मानों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्ररूप ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया ;

(ढ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपहानि या नुकसान के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया ;

(ण) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सभी कटौतियों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्ररूप ;

(त) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन रोजगार प्रारंभ होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली की शर्तें ;

(थ) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा पहले से ही अर्जित नहीं की गई मजदूरी की वसूली की शर्तें ;

(द) धारा 24 के अधीन ऋणों की वसूली और उस पर संदेय ब्याज की दर की कटौतियां ;

(ध) धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने की रीति ;

(न) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (11) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, के सदस्यों की पदावधि ;

(प) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन के खंड (ख) के अधीन नियोजित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करने का प्राधिकार और रीति ;

(फ) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन अनेक कर्मचारियों के संबंध में एकल आवेदन का प्ररूप ;

(ब) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील प्राधिकारी या बोर्ड को अपील करने का प्ररूप ;

(भ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रजिस्टर को रखने की रीति ;

(म) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन मजदूरी पर्चियां जारी करने की रीति ;

(य) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन सुकरकर्ताओं द्वारा निर्वहन की जाने वाली अन्य शक्तियां ;

(यक) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अधिरोपण की रीति ;

(यख) धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति ;

(यग) कोई अन्य विषय, जिसकी इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षा हो या विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए निम्नलिखित नियम बनाएगी,--

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निम्नतम मजदूरी नियत करने की रीति ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार से परामर्श करने की रीति ;

(ग) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (**i**) के अधीन छठे लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने की रीति ;

(घ) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (ii) के अधीन सातवें लेखा वर्ष के लिए आगे रखने या मुजरा करने की रीति ;

(ङ) धारा 32 के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन सकल लाभ संगणित करने की रीति ;

(च) धारा 34 के खंड (ग) के अधीन नियोजक की बाबत ऐसी और राशि ;

(छ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथा वर्ष तक और जिसमें वह चौथा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किए जाने वाली रकम आबंटनीय अधिशेष के आधिक्य को उपयोग करने की रीति ;

(ज) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथा वर्ष

तक और जिसमें वह चौथा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किए जाने वाले न्यूनतम रकम या कमी को उपयोग करने की रीति ; और

(झ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच करवाने की रीति ।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

68. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1936 का 4
1948 का 11
1965 का 21
1976 का 25

69. (1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का लोप किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उनके अधीन कोई अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश या किसी प्रयोजन के लिए ऐसी अधिनियमितियों के किसी उपबंध के अधीन उपबंधित मजदूरी की रकम है, को ऐसे प्रयोजन के लिए इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई या उपबंधित समझा जाएगा और वह उस सीमा तक जिस तक वह इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार की उस प्रभाव की अधिसूचना द्वारा निरसित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होगी ।

1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, जिसने अपनी रिपोर्ट जून, 2002 में प्रस्तुत की थी, यह सिफारिश की थी कि श्रम विधियों के वर्तमान समुच्चय को निम्नलिखित समूहों में विस्तृत रूप से समामेलित किया जाना चाहिए, अर्थात् :—

(क) औद्योगिक संबंध ;

(ख) मजदूरी ;

(ग) सामाजिक सुरक्षा ;

(घ) सुरक्षा ; और

(ङ) कल्याण और कार्य की दशाएं ।

2. उक्त आयोग की सिफारिशों और सरकार, कर्मचारियों और औद्योगिक प्रतिनिधियों के त्रिपक्षीय अधिवेशन में किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में प्रस्तावित विधान लाने का विनिश्चय किया गया है । प्रस्तावित विधान का आशय मजदूरी से संबंधित निम्नलिखित चार केंद्रीय श्रम अधिनियमितियों के सुसंगत उपबंधों को समामेलित, सरल और सुव्यवस्थित करना है, अर्थात् :—

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 ;

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ;

(ग) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 ; और

(घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 ।

3. उक्त विधियों का समामेलन कार्यान्वयन को सुकर बनाएगा और कर्मकारों के कल्याण और फायदों की आधारभूत धारणाओं से समझौता किए बिना परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को दूर भी करेगा । प्रस्तावित विधान, इसके प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सम्मिलित करेगा । इन सभी उपायों से पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी, जिससे अधिक प्रभावी प्रवर्तन किया जाएगा । सभी कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी के क्षेत्र का विस्तार साम्या के लिए एक बड़ा कदम होगा । श्रम विधियों की अनुपालना को सुगम बनाने की सुकरता से और अधिक उपक्रमों की स्थापना में अभिवृद्धि होगी और इस प्रकार इससे नियोजन अवसरों का सृजन उत्प्रेरित होगा ।

4. मजदूरी संहिता, 2017 में मुख्य बातें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :—

(क) इसमें मजदूरी, समान पारिश्रमिक, उसका संदाय और बोनस से संबंधित सभी आवश्यक तत्वों के लिए उपबंध है ;

(ख) मजदूरी से संबंधित उपबंध संगठित सेक्टर के साथ ही साथ असंगठित सेक्टर दोनों को समाविष्ट करने वाले सभी नियोजनों को लागू होंगे ;

(ग) न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति का, केंद्रीय सरकार के साथ ही

साथ राज्य सरकार में अपने-अपने क्षेत्रों में निहित होना बना रहेगा ;

(घ) यह समुचित सरकार को ऐसे कारक अवधारित करने के लिए समर्थ बनाता है, जिसके द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी । उक्त कारक को, अपेक्षित दक्षता, सौंपे गए कार्य की कठिनता, कार्य स्थान की भौगोलिक अवस्थिति और ऐसे अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा, जो समुचित सरकार आवश्यक समझे ;

(ङ) मजदूरी के समय पर संदाय और मजदूरी में से प्राधिकृत कटौतियों से संबंधित उपबंधों को, जो वर्तमान में केवल चौबीस हजार रूपए प्रतिमास मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की बाबत लागू होते हैं, मजदूरी की अधिकतम सीमा को विचार में लाए बिना सभी कर्मचारियों को लागू किया जाएगा । समुचित सरकार ऐसे उपबंधों का विस्तार केंद्रीय सरकार के स्थापनों तक भी कर सकेगी ;

(च) इसमें यह उपबंध है कि कर्मचारियों को मजदूरी का संदाय भी चेक द्वारा या डिजिटल या इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से या कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा । तथापि समुचित सरकार ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जहां पर मजदूरी केवल चेक द्वारा या डिजिटल या इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से या कर्मचारियों के बैंक खाते में मजदूरी जमा करके ही किया जाएगा ;

(छ) इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निम्नतम मजदूरी का उपबंध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित निम्नतम मजदूरी से कम निम्नतर मजदूरी नियत न करे ;

(ज) निरीक्षण में मनमानेपन और अनाचार को दूर करने के उद्देश्य से यह, समुचित सरकार को, निरीक्षकों के स्थान पर निरीक्षकों-सह-सुकरकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है, जो सूचना का प्रदाय करेंगे और नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह देंगे ;

(झ) यह समुचित सरकार को बोनस की पात्रता और बोनस की संगणना के प्रयोजनों के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा अवधारित करने के लिए सशक्त करता है ;

(ञ) बहु स्तरों पर प्राधिकरणों की संख्या के स्थान पर यह समुचित सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन दावों को सुनने और विनिश्चित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकरणों को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ;

(ट) यह समुचित सरकार को शिकायतों के निवारण और दावों का शीघ्र, सस्ता और दक्षतापूर्ण निपटारा करने के लिए अपील सुनने के लिए अपील प्राधिकरण स्थापित करने के लिए समर्थ बनाता है ;

(ठ) इसमें प्रस्तावित विधान के उपबंधों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए वर्गीकृत शास्ति का उपबंध है ;

(ड) इसमें यह उपबंध है कि कि निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, उल्लंघन की दशा में अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ करने से पहले नियोक्ता को सुनवाई का अवसर देगा, जिससे प्रस्तावित विधान के उपबंधों की अनुपालना की जा सके । तथापि पांच वर्ष की अवधि के भीतर उल्लंघन की पुनरावृत्ति की दशा में ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा ;

(ढ) यह अधीनस्थ न्यायपालिका के बोझ को दूर करने के लिए केवल पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय मामलों के निपटारे के लिए भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों या राज्य सरकार में समतुल्य स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने का उपबंध करता है ;

(ण) इसमें उन अपराधों के शमन का उपबंध है, जो कारावास से दंडनीय नहीं है ;

(त) इसमें यह उपबंध है कि जहां पारिश्रमिक या बोनस के असंदाय के लिए अथवा मजदूरी या बोनस या प्रस्तावित विधान द्वारा प्राधिकृत नहीं की गई कटौती करने के कारण कम संदाय के लिए कोई दावा फाइल किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार नियोक्ता पर होगा कि उक्त शोध्यों का संदाय कर्मचारी को कर दिया गया है ;

(थ) यह समुचित सरकार को, मजदूरी, महिला कर्मचारी आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकारी बोर्ड गठित करने के लिए क्रमश: केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को समर्थ बनाता है ;

(द) किसी कर्मकार द्वारा दावा फाइल करने की परिसीमा अवधि को छह मास से लेकर दो वर्ष तक की वर्तमान समयावधि के स्थान पर तीन वर्ष किया गया है, जिससे कर्मकार को अपने दावों को तय करने के लिए अधिक समय दिया जा सके ।

5. समरूप रूपरेखा के अनुसार मजदूरी संहिता, 2017 को पुरःस्थापित किया गया था और उसे श्रम की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था जिससे 18 दिसंबर, 2018 को अपनी तैंतालीसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । तथापि, उक्त सदन द्वारा उक्त विधेयक को पारित किए जाने से पूर्व यह सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया । अतः, मजदूर संहिता, 2019 को लाया जा रहा है ।

6. खंडों पर टिप्पण में विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 जुलाई, 2019

संतोष गंगवार

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 संहिता में प्रयोग किए गए कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ "लेखावर्ष", "सलाहकार बोर्ड", "समुचित सरकार", "कर्मचारी", "नियोजक", "अधिकरण", "मजदूरी" और "कर्मकार" सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 3 लिंग के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का उपबंध करने के लिए है । यह भी प्रावधान करता है कि नियोक्ता मजदूरी के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और नियोक्ता किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 4 समान या उसी प्रकृति के कार्य के संबंध में विवादों का अवधारण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 5 मजदूरी की न्यूनतम दर पर संदाय का उपबंध करने के लिए है । समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम किसी राज्य या उसके भाग के लिए कर्मचारी को संदाय नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 6 न्यूनतम मजदूरी को नियत करने का उपबंध करने के लिए है । समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को नियत करना, निम्नतम मजदूरी को नियत करने के लिए केंद्रीय सरकार की शक्तियों के अधीन होगा । न्यूनतम मजदूरी कालानुपाती काम, मात्रानुपाती काम के लिए और अवधि के लिए घंटे या दिवस या मास द्वारा होगा । यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए निम्नतम मजदूरी का उपबंध करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए अधिसूचित निम्नतम मजदूरी से कम निम्नतर मजदूरी नियत न करे ।

विधेयक का खंड 7 न्यूनतम मजदूरी के संघटक का उपबंध करने के लिए है । समुचित सरकार द्वारा नियत या पुनरीक्षित की गई कोई न्यूनतम मजदूरी की दर अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत दर, जीवनयापन भत्ते की लागत और रियायतों का मूल्य, यदि कोई हो, से गठित हो सकेगी ।

विधेयक का खंड 8 न्यूनतम मजदूरी को नियत करने और उसकी पुनरीक्षा करने की प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9 केंद्रीय सरकार की निम्नतम मजदूरी नियत करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न निम्नतम मजदूरी नियत की जा सकेगी । केंद्रीय सरकार, निम्नतम मजदूरी नियत करने से पूर्व केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह अभिप्राप्त कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 10 अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य कार्य दिवस से कम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी का उपबंध करने के लिए है । कर्मचारी, जहां कार्य करने में उसकी असफलता, कार्य करने में उसकी अनिच्छा द्वारा कारित की गई है, न कि नियोक्ता द्वारा कार्य प्रदान करने का लोप किए जाने के कारण, तो वह सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 11 कार्य के दो या अधिक वर्गों के लिए मजदूरी का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि जहां कोई कर्मचारी दो या अधिक वर्ग के कार्य करता है जिनमें से प्रत्येक के लिए मजदूरी की भिन्न दर लागू है, तो नियोक्ता ऐसे कर्मचारी को प्रत्येक वर्ग के ऐसे कार्य के लिए क्रमश: लगने वाले समय के लिए प्रत्येक ऐसे वर्ग के संबंध में लागू न्यूनतम दर से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 12 मद कार्य के लिए न्यूनतम समय दर मजदूरी का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 13 समुचित सरकार द्वारा सामान्य कार्य दिवसों के लिए कार्य के नियत घंटे, विश्राम का दिन और विश्राम के दिन पर कार्य के लिए संदाय का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 14 अतिकाल के लिए मजदूरी का संदाय का उपबंध करने के लिए है जो सामान्य कार्य दिन को गठित करने वाले घंटों की संख्या से अधिक है और अतिकाल की दर मजदूरी की सामान्य दर से दुगुने से कम नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 15 यह उपबंध करने के लिए है कि कर्मचारी को सभी मजदूरियां वर्तमान सिक्कों या करेंसी नोटों में या चैक द्वारा या बैंक खाते में अंकीय या इलैक्ट्रानिक ढंग से मजदूरी जमा करके संदत्त होंगी, अन्यथा समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट औद्योगिक में या अन्य स्थापन में मजदूरी को केवल चैक द्वारा या जमा द्वारा मजदूरी का संदाय करेगा ।

विधेयक का खंड 16 कर्मचारियों के लिए मजदूरी अवधि को नियत करने का उपबंध करने के लिए है जो एक माह से अधिक नहीं होगी या तो दैनिक या साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक आधार पर नियत होगा और विभिन्न स्थापनों के लिए विभिन्न मजदूरी अवधियां नियत की जाएंगी ।

विधेयक का खंड 17 मजदूरियों के संदाय के लिए मासिक आधार पर, दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर और पाक्षिक आधार पर समय-सीमा का उपबंध करने के लिए है । सेवा से हटाने, पदच्युत करने, छंटनी, त्यागपत्र या स्थापना के बंद होने के कारण कर्मचारी को संदत्त मजदूरी दो सप्ताह के भीतर संदाय की जाएगी । समुचित सरकार इस खंड में उपबंधित समय-सीमा से अलग समय-सीमा उपबंधित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 18 कर्मचारी के मजदूरी से की जाने वाली कटौतियों के उपबंध के लिए है । प्रस्तावित विधायन के अधीन प्राधिकृत किए जाने के सिवाय कोई कटौती नहीं की जाएगी । किसी मजदूरी अवधि में मजदूरी की कटौती की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत है । यह और उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई नियोजक, न्यास या सरकारी निधि या यथापेक्षित किसी अन्य लेखा के खाते में कर्मचारियों की मजदूरी से की गई कटौती का निक्षेप करने में व्यतिक्रम करता है तो, कर्मचारी ऐसे व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 19 किसी कर्मचारी पर नियोजक द्वारा अधिरोपित जुर्माने के उपबंध के लिए है । खंड में केवल विनिर्दिष्ट अनुमोदन और प्रक्रिया के अनुसरण में

किसी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 20 काम से अनुपस्थिति के लिए कटौतियों के उपबंध के लिए है । ऐसी कटौती के मद्दे मजदूरी अवधि के संबंध में, जिसमें नियोजित व्यक्ति को संदेय मजदूरी के उसके नियोजन के निबंधनों में वह कार्य के लिए अपेक्षित था के दौरान ऐसी मजदूरी अवधि के भीतर कुल अवधि को उसकी अनुपस्थिति के लिए जिसमें वह अवधि उसके अनुपात में अधिक है, कटौती की गई है, के संबंध में कोई वाद नहीं होगा । कोई कर्मचारी स्थान से अनुपस्थित समझा जाएगा जहां वह कार्य के लिए अपेक्षित है यदि, यद्यपि ऐसे स्थान में उपस्थित रहता है, जहां वह हड़ताल में होने या किसी अन्य कारण के लिए इंकार करता है, जिसे उसके कार्य को करने की परिस्थितियों में युक्तियुक्त नहीं है ।

विधेयक का खंड 21 नुकसानी या हानि के लिए कटौती के उपबंध के लिए है । नुकसानी या हानि के लिए कटौती कर्मचारी की किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा नियोजक को कारित किसी नुकसानी या हानि की रकम से अधिक नहीं होगी । कोई कटौती तब तक नहीं होगी जब तक कि कर्मचारी को कटौती के विरूद्ध कारण बताओ का अवसर या ऐसी कटौती करने के लिए विहित रीति में ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में अवसर न दिया गया हो ।

विधेयक का खंड 22 दी गई सेवाओं के लिए कटौती के उपबंध के लिए है । कोई कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा उसके द्वारा कर्मचारी गृह वास सुविधा या सेवा स्वीकार नहीं की जाती है और ऐसी कटौतियां गृह वास सुविधा या उसे दी गई सेवाओं के मूल्य के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी । समुचित सरकार उक्त उद्देश्यों के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 23 अग्रिमों की वसूली के लिए कटौती के उपबंध के लिए है । नियोजन के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम की वसूली कटौती के अधीन उक्त खंड में उपबंधित की गई शर्तों के अधीन होगी ।

विधयेक का खंड 24 उधार की वसूली के लिए कटौती और उक्त वसूली के ढंग के उपबंध के लिए है ।

विधेयक का यह खंड 25 उपबंधित करता है कि प्रस्तावित संहिता के अध्याय 3 में उपबंधित मजदूरी के संदाय से संबंधित उपबंध सरकारी संस्थापनाओं को लागू नहीं होगा, जब तक कि समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थापनों को ऐसे उपबंध लागू करे ।

विधेयक का खंड 26 बोनस की पात्रता के उपबंध के लिए है । बोनस के संदाय की सीमा समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्धारित प्रति मास रकम से अधिक नहीं होगी । जहां कर्मचारी की मजदूरी प्रतिमास रकम से अधिक है, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित है, कर्मचारी को संदेय बोनस इस प्रकार संकलित किया जाएगा मानो उसकी मजदूरी प्रतिमास समुचित सरकार द्वारा अवधारित ऐसी रकम हो या समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियत हो, में से जो अधिक हो । बोनस के संदाय से संबंधित अन्य ब्यौरे भी इस खंड में उपबंधित

हैं ।

विधेयक का खंड 27 ऐसे मामले में आनुपातिक कमी के लिए उपबंध करता है जहां कोई कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्यरत दिनों में कार्य नहीं करता है, इत्यादि ।

विधेयक का खंड 28 यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कर्मचारी लेखा वर्ष में सभी कार्य दिवसों के लिए काम के दिनों की संख्या की संगणना में काम नहीं किया है । इसमें विनिर्दिष्ट कार्य दिवसों के निश्चित दिवसों को इस खंड में उपबंधित किया गया है ।

विधेयक का खंड 29 बोनस प्राप्त करने के लिए कपट, इत्यादि के कारण सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है, के उपबंध के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 उपबंधित करता है कि किसी स्थापन से विभिन्न विभाग का उपक्रम या शाखाएं चाहे वह समान स्थान या विभिन्न स्थानों पर स्थित है, सभी ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखाएं उस वर्ष के लिए इस संहिता के अधीन बोनस के परिकलन के प्रयोजनों के लिए उस समान स्थापन के भागों के रूप में माने जाएंगे ।

विधेयक का खंड 31 आबंटित अतिशेष से संदाय के उपबंध के लिए है । यह समुचित सरकार को भी सशक्त करता है कि अधिसूचित प्राधिकरण अधिकारिता के भीतर नियोजक को तुलनपत्र अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकेगा ।

विधेयक का खंड 32 बैंकिंग कंपनी की दशा में सकल लाभ की संगणना के लिए उपबंध करता है जिससे ऐसे किसी अन्य मामले में, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे ।

विधेयक का खंड 33 किसी लेखा वर्ष के संबंध में उपलब्ध अतिशेष के उपबंध के लिए है ।

विधेयक का खंड 34 पूर्व प्रभार के रूप में सकल लाभों से कटौती योग्य राशियों के उपबंध के लिए है जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में उपबंधित रकम सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 35 नियोजक द्वारा संदेय प्रत्यक्ष कर के परिकलन के उपबंध के लिए है । किसी लेखा वर्ष के लिए नियोजक द्वारा संदेय कोई प्रत्यक्ष कर इस खंड में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन इस वर्ष के लिए नियोजक की आय को लागू दरों पर संगणित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 36 आबंटित अधिशेष का आगे के लिए रखा जाना और मुजरे का उपबंध करने के लिए है । जहां किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष उस स्थापन में सब कर्मचारियों को संदेय अधिकतम बोनस की रकम से अधिक है वहां वह आधिक्य उस लेखा वर्ष में उस स्थापन में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी में बीस प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए उत्तरवर्ती लेखा के लिए और उसी प्रकार चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा भी सम्मिलित है और इसमें ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे, बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आगे रखे जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा । आगे उपबंध किया जाता है कि जहां किसी लेखा वर्ष के लिए कोई उपलभ्य अधिशेष नहीं है या उस वर्ष की बाबत आबंटनीय अधिशेष उस स्थापन के कर्मचारियों

को संदेय न्यूनतम बोनस की रकम से कम पड़ता है और आगे के लिए रखी गई कोई भी ऐसी रकम या पर्याप्त रकम नहीं है, जो न्यूनतम बोनस के संदाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा सके, वहां, यथास्थिति, ऐसी न्यूनतम रकम या कमी को उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किया जाएगा । यह भी उपबंध करता है कि जहां पूर्वतर लेखा वर्ष से कोई रकम अग्रनीत की गई है या उसे मुजरा की गई है वहां ऐसे नियम अन्य मामले में और उसे ध्यान में रखने के लिए लागू किए जाएंगे ।

विधेयक का खंड 37 प्रस्तावित विधायन के अधीन रूढ़िगत या अंतरिम संदेय बोनस के समायोजन का उपबंध के लिए है ।

विधेयक का खंड 38 में उपबंधित है कि कोई कर्मचारी ऐसे अवचार का दोषी किसी लेखा वर्ष में पाया जाता है, जिसमें नियोजक को वित्तीय हानि कारित होती है वहां नियोजक बाकी, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

विधेयक का खंड 39 बोनस के संदाय के लिए समय-सीमा का उपबंध के लिए है । बोनस के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय सभी रकम उसके नियोजक द्वारा उसके बैंक खाते में जमा करने के द्वारा संदत्त होगी । कुछ दशाओं में बोनस का संदाय के लिए कालावधि के विस्तार से संबंधित विनिर्दिष्ट है किंतु इस प्रकार कि बढ़ाई गई कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी और जहां उच्चतर दर पर संदाय के लिए विवाद हो तो नियोजक लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ मास की अवधि के भीतर प्रस्तावित विधायन के उपबंध के अनुसार कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत संदत्त करेगा ।

विधेयक का खंड 40, उक्त खंड में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय मामलों में पब्लिक सेक्टर स्थापन में बोनस के संदाय के सम्बन्ध में अध्याय 4 के उपबंधों को लागू करने का, उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 41 कतिपय मामलों, जिसमें अन्य बातों के साथ, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी या उसी प्रकृति की कोई अन्य संस्था, जिसके अन्तर्गत उसकी शाखाएं भी हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, आदि में नियोजित कर्मकार भी सम्मिलित हैं, में बोनस के संदाय के सम्बन्ध में अध्याय 4 के उपबंधों के लागू नहीं होने का, उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 42 केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड गठन करने का उपबंध करने के लिए है जो प्रकृति में तीन सदस्यीय होगा जिसमें कर्मकारों, नियोजकों और स्वतंत्र व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे साथ ही इस बोर्ड में एक तिहाई महिला प्रतिनिधि होंगी और उक्त बोर्ड केन्द्रीय सरकार को उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों पर सलाह देगा । यह और उपबंध भी करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य सरकार को सलाह, जिसमें अन्य बातों के साथ न्यूनतम मजदूरी को नियत करना या उसका निरीक्षण करना, नियोजन अवसरों को बढ़ाना आदि भी है, देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी । राज्य सलाहकार बोर्ड इस खंड में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक या उससे अधिक

समितियों या उप-समितियों का गठन कर सकेगा । राज्य सलाहकार बोर्ड के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

विधेयक का खंड 43 नियोजक द्वारा विभिन्न शोध्यों के संदाय के लिए उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है । शोध्यों के संदाय में विफल होने की दशा, में सम्बद्ध कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ या कोई अन्य व्यक्ति, जो उस स्थापन का स्वत्वधारी है, ऐसे शोध्यों के संदाय करने का उत्तरदायी होगा ।

विधेयक का खंड 44 किसी कर्मकार की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों का संदाय का उपबंध करने के लिए है । ऐसे शोध्यों का संदाय कर्मकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाएगा और जहां ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है, या किसी कारण से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को रकम का संदाय नहीं किया जा सकता है । तो वहां उस रकम को ऐसे प्राधिकारी के पास, जो नियमों में विहित किया जाए, जमा कर दिया जाएगा जो उस रकम से, उस रीति में, जो नियमों में विहित की जाए, व्यौहार करेगा जहां नियोजक द्वारा इस खंड के अनुसरण में नियोजक द्वारा संदेय शोध्यों का संदाय किया जाता है तब वह उन शोध्यों का संदाय करने के लिए दायित्व से मुक्त किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 45 समुचित सरकार द्वारा कर्मकारों के दावों, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन उद्भूत होते हैं, का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है । उक्त प्राधिकारी को प्रतिकर, जिसे दावाकृत रकम के दस गुणा तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ दावाकृत रकम के संदाय का अधिनिर्णयन करने की शक्ति होगी । इसके अतिरिक्त नियोजक, प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दावे और प्रतिकर की रकम का संदाय करने में विफल हो जाता है, तब, उक्त प्राधिकारी उस जिले, जिसमें स्थापन अवस्थित है, के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को वसूली का प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उनकी भू-राजस्व के बकाया के समान वसूली करेगा तथा उन्हें प्राधिकारी के पास सम्बन्धित कर्मकार को संदाय करने के लिए जमा करेगा । उपरोक्त निर्दिष्ट दावे के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन सम्बन्धित कर्मकार अथवा निरीक्षक-सह सुकारक सुकरकर्ता या किसी अन्य व्यवसाय संघ, जिसका कर्मकार सदस्य है, द्वारा फाइल किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 46 यदि नियोजक और उसके कर्मकार के मध्य प्रस्तावित विधान के अधीन देय बोनस या पब्लिक सेक्टर स्थापन में बोनस की बाबत इस संहिता के लागू होने की बाबत विवाद उद्भूत होता है तब ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक विवाद समझा जाएगा, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 47 यदि प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, अधिकरण या मध्यस्थ, किसी निगम या कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी से भिन्न) को निर्दिष्ट किसी विवाद में उक्त प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, अधिकरण या मध्यस्थ को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित दस्तावेज जैसे तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसा दस्तावेज शुद्ध समझा जाएगा और निगम या कम्पनी के लिए ऐसे दस्तावेजों की

शुद्धता को साबित करना आवश्यक नहीं होगा । तथापि, जब उक्त प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ को किसी कर्मकार या विवाद का पक्षकार होते हुए व्यवसाय संघ उक्त कथन के किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तब प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण या मध्यस्थ के आदेश पर निगम या कम्पनी जैसा भी मामला हो, उसका स्पष्टीकरण करेंगे, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 48 नियोजकों, जो निगम या कम्पनी नहीं है, के लेखाओं की लेखा परीक्षा का उपबंध करने के लिए है । जहां नियोजक लेखाओं को लेखा परीक्षित कराने में असफल रहता है तब ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों, जैसा प्राधिकारी उचित समझे, द्वारा लेखाओं को लेखा परीक्षित कराने के लिए उपबंध है और ऐसी लेखा परीक्षा, जिसके अन्तर्गत लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक भी है, से अनुषांगिक व्यय प्राधिकरण द्वारा अवधारित किए जाएंगे और नियोजक द्वारा संदत्त किए जाएंगे । संदाय के विफल होने की दशा में, यह खंड ऐसे व्ययों की वसूली के लिए उपबंध अन्तर्विष्ट करता है ।

विधेयक का खंड 49 प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 50 अभिलेख, रिटर्न और सूचनाओं का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड नियोजक द्वारा रजिस्टर, जिसमें नियोजित व्यक्तियों, मस्टर रोल, मजदूरी और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो समुचित सरकार द्वारा इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अन्तर्विष्ट होंगे, के अनुरक्षण के लिए उपबंध करता है । यह नियोक्ता स्थापन के प्रमुख स्थान पर सूचनापट में एक सूचना प्रदर्शित करने, जिसमें इस प्रस्तावित विधान का सार, कर्मकारों की प्रवर्गवार मजदूरी, मजदूरी अवधि, मजदूरी के संदाय का दिन या तारीख और समय तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता का नाम और पता होगा, का उपबंध करता है । मजदूरी पर्ची जारी करने के लिए भी उपबंध हैं । नियोजक, जो कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को नियोजित करता है जिसे इन उपबंधों से छूट दी जाएगी लेकिन जब कभी अपेक्षा की जाए वह निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के समक्ष नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के संदाय का युक्तियुक्त सबूत प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 51 निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का उपबंध करने के लिए है। निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता नियोजकों और कर्मकारों को प्रस्तावित विधान के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अत्यधिक प्रभावी साधनों से सम्बन्धित सूचना और सलाह दे सकेगा । यह खंड निरीक्षक-सह-सुकरकर्ताओं को निरीक्षण स्कीम के आधार पर स्थापन के निरीक्षण के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 52 प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन अपराधों के संज्ञान का उपबंध करने के लिए है । अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर लिया जाएगा । मैट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय अपराधों का विचारण नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 53 केवल पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय मामलों के निपटारे के लिए भारत सरकार अवर सचिव या राज्य सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारी से अन्यून की पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए उपबंध करता है जिससे कि अधीनस्थ न्यायपालिका का बोझ कम हो सके ।

विधेयक का खंड 54 अपराधों के लिए शास्तियों का उपबंध करने के लिए है । अपराधी, जो दोबारा ऐसे समान अपराध के लिए, जिसके लिए इसको दोषसिद्ध किया जा चुका है, दोषी पाया जाता है, पर बढ़ी हुई शास्तियां अधिरोपित की जाएंगी । निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता, अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ करने से पहले प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुपालन में नियोजक को एक अवसर प्रदान करेगा । अभियोजन कार्यवाहियां, नियोजक, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपबंधों का अनुपालन करता है, के विरूद्ध आरम्भ नहीं की जाएगी । ऐसा अवसर नियोजक को नहीं दिया जाएगा, यदि प्रस्तावित विधान के समान प्रकृति के उपबंधों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति, उस तारीख, जिसको प्रथम उल्लंघन किया गया था, से पांच वर्ष की अवधि के भीतर की जाती है।

विधेयक का खंड 55 कम्पनी द्वारा अपराधों का उपबंध करने के लिए है । यदि अपराध कम्पनी द्वारा किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उत्तरदायी था और साथ ही साथ वह कम्पनी भी उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने के दायी होंगे । संरक्षा प्रदान की जाती है, जहां अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के सब सम्यक् तत्परता बरती थी । कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति और मौनानुकूलता से अपराध किया गया है तो उन्हें भी दोषी समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 56 अपराधों के उपशमन का उपबंध करने के लिए है । केवल ऐसे अपराध, जो कारावास से दण्डनीय नहीं है, उपशमनीय होंगे । उपशमनीय धन अधिकतम जुर्माने का पचास प्रतिशत होगा । समान उपशमन किए गए अपराध या जिसको कारित किए जाने के लिए दूसरी बार अथवा उसके पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के भीतर दोषसिद्ध किया गया था, उपशमनकारी नहीं होंगे ।

विधेयक का खंड 57 वाद का वर्जन के लिए उपबंध करने के लिए है । मामले, जिसमें न्यायालय ऐसे वादों, जिसमें अन्य बातों के साथ, मजदूरी की वसूली मजदूरी से किसी कटौती, मजदूरी और बोनस के संदाय में भेद-भाव भी है, को स्वीकार नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 58 समुचित सरकार या प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन उस सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करने के लिए हैं ।

विधेयक का खंड 59 सबूत के भार के सम्बन्ध में उपबंध करने के लिए है । पारिश्रमिक या बोनस, आदि के लेखे शोध्यों का संदाय किया गया है, के सबूत का भार

नियोजक पर होगा ।

विधेयक का खंड 60 यह उपबंध करने के लिए है कि कोई संविदा या करार, जिसके द्वारा कोई कर्मकार इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अनुसार किसी रकम के प्रति अधिकार या उसे देय बोनस के अधिकार का त्यजन कर देता है वहां तक किसी व्यक्ति के ऐसी रकम को हटाने या उसे कम करने के उत्तरदायित्व के लिए तात्पर्यित हैं, अकृत और शून्य होगा ।

विधेयक का खंड 61 प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत विधियों, करारों को अध्यारोही प्रभाव देने का उपबंध करने के लिए है । ऐसी विधि, करार, आदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों का प्रभावित नहीं करेंगे ।

विधेयक का खंड 62 शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबंध करने के लिए है । समुचित सरकार उसके द्वारा प्रस्तावित संहिता में प्रयोग किए जाने योग्य शक्तियां, अधिसूचना द्वारा सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए को किन्हीं शर्तों के साथ या उनके बिना प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 63 कतिपय मामलों में नियोजक को दायित्व से छूट प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है । नियोजक, जिसे प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, वहां उसके द्वारा की गई सम्यक् शिकायत पर किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर वह वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता है, आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर न्यायालय के समक्ष लाए जाने का पात्र होगा और यदि अपराध किए जाने को साबित करने के पश्चात् वह साबित कर देता है कि उसने प्रस्तावित विधान के उपबंधों के निष्पादन के लिए सम्यक् सतर्कता बरती थी और अन्य व्यक्ति ने अपराध, उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना किया था, तब उस अन्य व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और नियोजक को आरोपमुक्त किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 64 सरकार के पास नियोजक की आस्तियों की कुर्की के विरूद्ध संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 65 केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है और ऐसे निदेश बाध्यकारी होंगे ।

विधेयक का खंड 66 प्रस्तावित विधान के उपबंध महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 और कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 67 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है । ऐसी शक्तियां, प्रस्तावित विधान के उपबंधों और ऐसे मामलों, जिस पर ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट किए गए हैं, का पालन करने के लिए साधारण प्रकृति की होंगी । इन नियमों को संसद् या राज्य विधान-मंडल जैसा भी मामला हो, के समक्ष रखे जाने का उपबंध भी है ।

विधेयक का खंड 68 केन्द्रीय सरकार को कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत और राजपत्र में प्रकाशित उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है । ऐसी शक्तियां प्रस्तावित विधान के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रयुक्त नहीं की जा सकेंगी और इस खंड के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 69 कतिपय अधिनियमतियों के निरसन करने के लिए है, अर्थात्, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन की गई बात और कार्रवाईयों की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 5 में यह उपबंधित है कि नियोक्ता किसी कर्मचारी को समुचित सरकार द्वारा क्षेत्र, स्थापन या कार्य के लिए अधिसूचित ऐसी मजदूरी की न्यूनतम दर से कम का संदाय नहीं करेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

2. विधेयक के खंड 6 के उपखंड (5) में यह उपबंधित है कि समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन कारकों को नियत कर सकेगी, जिनसे इस प्रकार नियत न्यूनतम मजदूरी को भिन्न किस्म के कार्यों के लिए गुणा किया जा सकेगा ।

3. विधेयक के खंड 9 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा, निम्नतर मजदूरी नियत करने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड के परंतुक में यह उपबंधित है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न निम्नतर मजदूरी नियत की जा सकेगी ।

4. विधेयक का खंड 25 विधेयक के अध्याय 3 के उपबंध सरकारी संस्थापनों को लागू होने से छूट प्रदान करते हैं, जब तक समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी सरकारी स्थापन को ऐसे उपबंध लागू न करें ।

5. विधेयक के खंड 45 का उपखंड (1) समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून एक या अधिक प्राधिकारियों को इस विधेयक के उपबंधों के अधीन उद्भूत दावों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है ।

6. विधेयक के खंड 49 का उपखंड (1) समुचित सरकार को, खंड 45 के उपखंड (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपीलों की सुनवाई के लिए अधिकारिता रखने वाले अपील प्राधिकारी को नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है ।

7. विधेयक के खंड 51 का उपखंड (1) समुचित सरकार को ऐसे निरीक्षक-सह-सुकारकों की नियुक्ति के लिए सशक्त करता है जो उक्त खंड के उपखंड (4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों को, यथास्थिति, ऐसे राज्य या भौगोलिक सीमाओं में अवस्थित स्थापनों के संबंध में, उन्हें समनुदेशित राज्य या ऐसी भौगोलिक सीमाओं में सर्वत्र प्रयोग करेंगे ।

8. विधेयक के खंड 51 का उपखंड (2) समुचित सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसी निरीक्षण स्कीम अधिकथित करने हेतु सशक्त करता है, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची का सृजन करने के लिए भी उपबंध होगा ।

9. विधेयक के खंड 53 का उपखंड (1) समुचित सरकार को केवल पचास हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय मामलों की जांच और विनिश्चय करने के लिए भारत सरकार के अवर सचिव या राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारी की

नियुक्ति करने के लिए सशक्त करता है और जांच की ऐसी रीति जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंध करे जिससे अधीनस्थ न्यायपालिका का बोझ कम हो सके ।

10. विधेयक के खंड 55 का उपखंड (1) समुचित सरकार को उक्त खंड के उपबंधों के अनुसार अपराधों के प्रशमन के प्रयोजन के लिए कोई राजपत्रित अधिकारी विनिर्दिष्ट करने हेतु सशक्त करता है ।

11. खंड 66 का उपखंड (1) समुचित सरकार को, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) में ऐसे विषय विनिर्दिष्ट हैं, जिनके विषय में नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ : (क) मजदूरियों की संगणना करने की रीति, जहां ऐसी दरें धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन घंटा या दिवस या मास के आधार पर नियत की जाती है ; (ख) वह मामले और परिस्थितियां, जिनमें किसी कर्मचारी को सामान्य कार्य दिवस बनाने वाले अपेक्षित घंटों से कम कालावधि के लिए नियोजित किया जाता है, जो धारा 10 के अधीन सामान्य पूर्ण कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ; (ग) ऐसी सीमा, जिस तक और ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंध, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारियों के कतिपय वर्गों के संबंध में लागू होंगे ; (घ) धारा 14 के अधीन घंटा, दिवस या ऐसी अन्य दीर्घ मजदूरी अवधि द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने की रीति ; (ङ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (च) के उपखंड (**ii**) के अधीन श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किसी निधि से लिए गए ऋणों की कटौती करने की रीति ; (च) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अधिक रकम की वसूली की रीति ; (छ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करना ; (ज) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कृत्यों और लोपों के प्रदर्शन की रीति ; (झ) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया ; (ञ) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन सभी जुर्मानों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्ररूप ; (ट) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया ; (ठ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपहानि या नुकसान के लिए कटौतियां करने की प्रक्रिया ; (ड) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सभी कटौतियों और उनकी वसूलियों को अभिलिखित करने के रजिस्टर का प्ररूप ; (ढ) धारा 23 के खंड (ख) के अधीन रोजगार प्रारंभ होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए अग्रिम धन की वसूली की शर्तें ; (ण) धारा 23 के खंड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा पहले से ही अर्जित नहीं की गई मजदूरी की वसूली की शर्तें ; (त) धारा 24 के अधीन ऋणों की वसूली और उस पर संदेय ब्याज की दर के लिए कटौतियां ; (थ) धारा 26 की उपधारा (7) के खंड **(i)** और खंड **(ii)** के अधीन छठे और सातवे लेखा वर्ष के लिए अग्रनीत या मुजरा करने की रीति ; (द) धारा 32 के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन सकल लाभ संगणित करने की रीति ; (ध) धारा 34 के खंड (ग) के अधीन नियोजक की बाबत ऐसी और राशि ; (न) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक और जिसमें वह

चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत आबंटनीय अधिशेष से अधिक का उपयोग करने की रीति ; (प) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और चौथे लेखा वर्ष तक और जिसमें वह चौथा लेखा वर्ष भी सम्मिलित है, मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत न्यूनतम रकम या कमी के उपयोग करने की रीति ; (फ) धारा 42 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और उक्त धारा की उपधारा (4) में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने की रीति ; (ब) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसके अंतर्गत धारा 42 की उपधारा (11) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित उसकी समितियां और उपसमितियां भी हैं, के सदस्यों की पदावधि ; (भ) धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियोजित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में विभिन्न असंवितरित शोध्यों को ऐसे प्राधिकारी के पास जमा करने का प्राधिकार और रीति ; (म) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन अनेक कर्मचारियों के संबंध में एकल आवेदन का प्ररूप ; (य) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप ; (यक) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नियोजित व्यक्तियों, मास्टर रोल, मजदूरी संबंधी ब्यौरों को रखने के लिए नियोक्ता द्वारा रजिस्टर को रखने की रीति ; (यख) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन मजदूरी पर्चियां जारी करने की रीति ; (यग) धारा 51 की उपधारा (5) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां ; (यघ) धारा 53 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की बाबत जांच करने की रीति ; (यङ) धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति ; और (यच) कोई अन्य विषय, जो प्रस्तावित विधान के अधीन अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

12. खंड 67 के उपखंड (4) में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

13. खंड 67 के उपखंड (5) में यह उपबंधित है कि उक्त खंड के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

14. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं, और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।